<u>मेसर्स भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड द्वारा दुर्गापुर II - तराईमार कोल ब्लॉक के अन्तर्गत ग्राम तराईमार, बायसी,बायसी कॉलोनी, धरम कॉलोनी तथा रूपुंगा, विकासखण्ड एवं तहसील धरमजयगढ़, जिला रायगढ़ में प्रस्तावित कोयला खदान क्षमता – 4 एम. टी. पी. ए. (लीज क्षेत्र 1070 हेक्टेयर) एवं लिंकड कोल वॉशरी क्षमता–4 एम. टी. पी. ए. के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति के परिपेक्ष्य में लोक सुनवाई दिनांक 31.01.2011 का कार्यवाही विवरण</u>

मेसर्स भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड द्वारा दुर्गापुर II - तराईमार कोल ब्लॉक के अन्तर्गत ग्राम तराईमार, बायसी, बायसी कॉलोनी, धरम कॉलोनी तथा रूपुंगा, विकासखण्ड एवं तहसील धरमजयगढ़, जिला रायगढ़ में प्रस्तावित कोयला खदान क्षमता – 4 एम. टी. पी. ए. (लीज क्षेत्र 1070 हेक्टेयर) एवं लिंकड कोल वॉशरी क्षमता–4 एम. टी. पी. ए. के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति के परिपेक्ष्य में लोक सुनवाई दिनांक 31.01.2011 स्थान – आ.जा.क. प्राथमिक शाला, तराईमार के पीछे का मैदान, विकासखण्ड एवं तहसील – धर्मजयगढ़, जिला रायगढ़ में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी रायगढ़, की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा प्रातः 11.00 बजे लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारंभ की गई। लोक सुनवाई में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, रायगढ़ अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ तथा क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल रायगढ उपस्थित थे। लोक सुनवाई में आसपास के ग्रामवासी तथा रायगढ़ के नागरिकों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं ने भाग लिया। सर्वप्रथम क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन दिनांक 14.09.06 के प्रावधानो की जानकारी दी गयी।

लोक सुनवाई में लगभग 2000 लोगो का जन समुदाय एकत्रित हुआ। उपस्थिति पत्रक पर 25 लोगों ने हस्ताक्षर किये। मौखिक वक्तव्यों को लिपिबद्ध किया गया।

लोक सुनवाई उद्योग प्रतिनिधि के द्वारा परियोजना के प्रस्तुतीकरण से प्रारंभ हुई। सर्वप्रथम उद्योग की ओर से कंपनी प्रतिनिधि श्री संजय कुमार जैन, वाईस प्रेसीडेंट एवं श्री पी. गिरी, ई. आई. ए. कंसलटेंट द्वारा प्रस्तावित परियोजना के संबंध में संक्षिप्त जानकारी के साथ बताया गया कि मेरे द्वारा हिन्दी में जानकारी अच्छी तरह से नहीं दी जा सकती अतः मेरे स्थान पर श्री जैन द्वारा जानकारी दी जा रही है श्री जैन द्वारा उक्त परियोजना में किये जाने वाले प्रदूषण नियंत्रण के उपाय, जल की आवश्यकता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, स्थानीय लोगों को रोजगार, सामुदायिक विकास कार्य आदि के संबंध में जानकारी दी गयी।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा उद्योग प्रतिनिधि को जन सुनवाई के दरम्यान उठायी गई आपत्तियों, टीकाटिप्पणी को नोट करने तथा उन्हें कार्यवाही के अंत में बिन्दुवार स्पष्ट जानकारी देने का निर्देश दिया गया। इसके उपरांत उपस्थित जन समुदाय से सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणी आमंत्रित की गयी, जिस पर निम्नानुसार 272 व्यक्तियों ने अपने विचार व्यक्त किये –

सर्वश्री –

1. सजन कुमार, बायसी कालोनी – कंपनी के लोग जो अंदर बैठे हैं उनको बाहर निकाला जाये, वे भी हम जैस आम आदमी हैं, उनको भी बाहर बैठना चाहिए।
   अतिरिक्त जिला दण्ड
2. अधिर माझी, बायसी कालोनी – मैं यहॉ खेती करता हूॅ मेरा 7 एकड़ जमीन है, अभी यहॉ स्वच्छ पर्यावरण है, कंपनी के लगने से यहॉ का पर्यावरण खराब होगा, और हमारा भी फसल खराब हो जायेगा, यहॉ के जीव जंतु, यहॉ के हाथी, यहॉ की

हरियाली सब खराब हो जायेंगे, विभिन्न प्रकार के बीमारी आयेंगे, सांस की बीमारी होगी, छाल में आज देखिये वहॉ आज हम जा नहीं सकते, शासन से हमारा अनुरोध है कि हम कंपनी का विरोध करते हैं और आवेदन देता हूॅ इस आवेदन के माध्यम से हमारी बात को सरकार तक पहुॅचाई जाये।

3. विनय कुमार पाल, हाथीगढ़ा – यह गांव एतिहासिक रुप से राजा जमाना से हाथी गढा हुआ था, आज भी यहॉ हाथी आता है, धर्मजयगढ़ एक एतिहासिक जगह है, यह एक धार्मिक जगह है, इस जगह का नाम इसीलिये, धरमजयगढ़ बड़ा है, आज पूरा विश्वर ग्लोबल वार्मिंग के कारण परेशानी हो रही है, हमारे देश में अन्न की कमी हुई है, प्रत्येक प्राणी को रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए, और वह सिर्फ जमीन दे सकती है, यहॉ धर्मजयगढ़ का अनाज आस–पास के 10 जिलो में जा रहा है, यहॉ का आम, लीची, अमरुद, गोंद, लाख आदि सभी तरफ जाते हैं, अगर इस माण्ड नदी में कोल माईन खोली जाती है, तो इस नदी को और महानदी को भी खराब कर देगी, यह कोल माईन पुरी नदियों को खराब कर देगी, हम इन विदेशी कंपनी को न आने देकर यहॉ का माहौल बहुत अच्छा है, यहॉ डकैती या चोरी नहीं होती, महिला रात को पेड़ के नीचे सो सकती है, अगर कंपनी यहॉ खुलती है, तो हमारे मॉ बहनों की रक्षा कौन करेगा। इस कोल माईन के खुलने के बाद सब एक दुसरे के हिंसक हो जायेंगे, यह सारे प्रदूषण को देखते हुए, यहॉ हर साल हाथी आते हैं, लेकिन किसी को नुकशान नहीं पहुंचाते, आज हाथीगढ़ा में हाथी, दुर्गापुर में अजगर सांप है, तथा गांव में भालू आते हैं यहॉ सभी वन्य प्राणी आते हैं लेकिन किसी को हानि नहीं पहुॅचाते, हमारे पिता इस भूमि में कृषि करते रहे हैं और हम भी करते रहेंगे, कंपनी आयेगी तो सिर्फ हमें रोजगार देगी, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिये जहर बोयेगी, आने वाले समय में प्रदूषण से इस क्षेत्र को बचाने के लिये इस कंपनी को अनुमति नहीं दिया जाना चाहिए।

4. राकेश घोष, धर्मजयगढ़ कालोनी – हम पर्यावरण का रक्षा करना चाहते हैं, जो हमारे पेड़ पौधे हैं, जो हम फल फूल लेते हैं, उनसे हमें जो ऊर्जा मिलती है, पेड़ से हम फल खाते हैं, कंपनी के आने से हम कोयला नहीं खायेंगे, हम इस खेत में धान उगाना चाहते हैं, कोयला नहीं उगाना चाहते हैं, इस क्षेत्र में हाथी आता है और नुकशान पहुॅचायेगा, लेकिन अगर जंगल कट जायेंगे तो हाथी शहर में आयेंगे। हम कंपनी का विरोध करते हैं, क्या कोयला खाने से ताकत आयेगी, जल, जंगल और जमीन की रक्षा करते हैं, यह पर्यावरण का विनाश है, हम विरोध करते हैं, हमारे क्षेत्र में बाहर के व्यापारी आकर सब्जी खरीदते हैं, हम नदी से पानी पीते हैं, कोल माईन से जो काला पानी और गंदगी निकलेगा उसको नदी में डाला जायेगा, वह पानी हम पी नहीं सकेंगे। हम अपना पानी खराब नहीं होने देंगे। इस कंपनी के लगने से तराईमार, बायसी,बायसी कालोनी और रुपुंगा प्रभावित होंगें हम उसको प्रभावित नहीं होने देंगे। इस क्षेत्र से 7 कि.मी. की दूरी पर पुरातात्विक महत्व का क्षेत्र ओंगना है। कंपनी खुलने से ग्रामीणों के भुखों मरने की नौबत आ जायेगी, इससे विभिन्न प्रकार की बीमारी फेलेंगे, आज हम स्वच्छ वातावरण में बैठे हैं, लेकिन अगर कंपनी आयेगी तो हम एक कपड़ एक दिन से ज्यादा नहीं पहन सकेंगे। खान से प्रतिदिन 35 घन मीटर पानी निकाला जायेगा, और शेष पानी माण्ड नदी से लिया जायेगा, तो हमें कहॉ से पानी मिलेगा। जब पानी नहीं होगा तो हम क्या रायगढ़ या बालको जायेंगे पानी लेने के लिये। हमारी इस धरती के नीचे जो 20–30 करोड़ की संपत्ति है, उसको 6–8 लाख में लेना चाहते हैं, हमारे घर को

25000 देखर तोड़ना चाहते हैं, क्या 25000 में घन बन जाता है, हमारे यहॉ का रथ तराईमार और बायसी से निकलता है, हमारे भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं, हमारे मंदिर, मस्जीद और गिरजाघर को तोड़ेंगे, ये आज खेत को ले रहे हैं, बाद में हमारी धर्मजयगढ़ बस्ती को खरीदेंगे, यह हमारे जमीन को बंजर बता रहे है, प्रभावित लोगों के एक परिवार को खान में नौकरी देंगे, कोयला खदान में हम नौकरी नहीं करना चाहते, हमारे जो वन वृक्ष हैं हम उनका फल खाना चाहते हैं, आज जो जंगली हाथी आते हैं, हमारे जमीन में जो पेड़ हैं, वो कट रहे हैं, तो हाथी आज रहे हैं और हमारे फसल को खा रहे हैं, अगर जंगल नहीं रहेगा तो वो शहर में आकर हमें कुचलेंगे, रेल लाईन बनने के कारण खेती की जमीन दो भागों में बंट जायेगी, जिससे किसान प्रभावित होंगे, हमने इस क्षेत्र की मिट्टी को सिंचकर उपचाउ बनाये हैं, हम उसमें खेती करना चाहते हैं, आज यह कंपनी आयेगी एक घर में 8–10 सदस्य हैं कितने लोगों को नौकरी देंगे, घर में लड़ाई होगा, हमारा यह क्षेत्र शांत क्षेत्र है, उसमें अशान्ति फेंलेगा, हम नहीं चाहते कि इस क्षेत्र में कंपनी आये।

5. जय सिंह धर्मजयगढ़ कालोनी – ये जो शासन वाले हैं, उनके पास हम दो साल से ज्ञापन दे रहे हैं। हमारी जो जमीन जा रही है, वो ये लोग औने–पौने दाम पर हथियाना चाहते हैं, हम अपना जमीन नहीं देना चाहते, हमारे हाथ से जमीन चले जायेगी तो हम कहॉ जायेंगे, कोई भी भाई अपनी जमीन कंपनी वाले को औने–पौने दाम में न दें। हमारे यहॉ की जमीन से उगने वाली फसल बहुत दूर–दूर तक जाती है, यहॉ जब कोयला निकलेगा तो धान कहॉ से आयेगा। कंपनी वाले जैसे आये हैं वैसे ही चले जायें।

6. प्रमीला माझी, बायसी कालोनी– हमें जब बंगला देश से ला कर बसाया गया था, पं. जवाहर लाल नेहरु ने हमें बुलाया था और यहॉ बसाया था, आज कंपनी हमें यहॉ से भगाना चाहते हैं। हम अपना जमीन नहीं देंगे, हमारे जंगल में महुआ, तेंदु होता है, वह खतम हो जायेगा। हम लोग अपना जमीन नहीं देंगे और कंपनी को नहीं खुलने देंगे। अगर कंपनी आयेगा तो हम कहॉ जायेंगे। हम पर्यावरण को अच्छा रखना चाहते हैं, कंपनी को खुलने नहीं देना चाहते। बंगला देश से आने के बाद हम बहुत तकलीफ पाकर जीवन बीता रहे थे, हम बहुत मेहनत करके जमीन को उपजाउ बनाये हैं, हमारे पास घर नहीं था, आज हम अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, तो फिर से कंपनी हमें यहॉ से हटाना चाहती है। अगर सब जगह फैक्ट्री खोल देंगे तो अनाज कहॉ से लायेंगे।

7. खोखन चंद मंडल, बायसी कालोनी – मैं पाकिस्तान से आया था, सरकार ने जब हमको लाया था, तो सरकार ने हमको यहॉ बुलाया और मध्यप्रदेश के रायगढ़ जिले में बसाया गया था, हम लोग यहॉ नहीं आना चाहते थे, लेकिन सरकार ने हमको 7 एकड़ जमीन दिया और यहॉ बसाया था, आज 60 साल से हम लोग रहे थे, हम लोग बहुत तकलीफ में रहकर यहॉ रहे और अपना जीवन यापन किया और हमने अपने बच्चों को पढ़ाया मेरे दो बच्चे हैं, हम बहुत दुख से जी रहे हैं, हमारा जमीन चला जायेगा तो हम कहॉ जायेंगे। हमने लोन लेकर उबड़–खाबड़ जमीन को समतल किया खेत बनाया हमने बहुत तकलीफ पाकर यह किया, हमरे दुख को समझें।

8. कमल कुमार सिंह, धरमजयगढ़ कालोनी – मेरे पिता और परदादा जब आये तो हमको 7 एकड़ जमीन हुआ मेरे पिताजी दो भाई थे तो 3.5–3.5 एकड़ जमीन हो गया मेरे चाचा के बच्चे और हम मिलाकर 7 भाई है, कंपनी हमे क्या देगा। हम

क्या कोयला खायेंगे, आज महंगाई के जमीन में हम क्या करेंगे, कंपनी जमीन को लेकर क्या देगा हम 5–6 लाख को कितना दिन तक खायेंगे, हम चावल कभी खरीदते नहीं है, हल्दी हमारे खेत में होता है, हम खरीद कर नही खा सकते, जन सुनवाई को बंद करो, यह नौटंकी बंद करो।

9. सुकुमारी मंडल, बायसी कालोनी – लड़ाई के समय हमको मुसलमानों से मारा–काटा हम लोग वहॉ से भाग कर आये, जवाहरलाल, इंदिरा गांधी ने हमको लाया और हमको जमीन दिया, हम सुखा रोटी खाकर मस्त हैं, हमको पैसा देंगे वह कितना दिन तक रहेगा, हम लोग कैसे रहेंगे, हमारा जीवन तो गुजर गया, हमारे बच्चे कहॉ जायेंगे, हम जैसे हैं वैसे ही रहने दो, पेट में कोयला जायेगा तो हम मर जायेंग, हमारे पेट को रोटी चाहिए, कलेक्टर, एसपी, नेता और पुलिस सभी लोग रोटी ही खाते हैं, हमको बम गिराकर मार डालो लेकिन हम लोग कंपनी को नहीं खुलने देंगे। कंपनी को भगाओ, हम लोग जमीन नहीं देंगे।

10. बिनोदनी विश्वास, बायसी कालोनी – हम लोग पाकिस्तान से आये थे, वहॉ हमको पाकिस्तानी लोगो ने मारकर भगाया था, हमको जवाहर लाल नेहरु ने यहॉ लाया था, हमने बहुत परेशानी से जीवन यापन किया है, हम लोग, आज बहुत मेहनत करके अपना जीवन गुजारा है, आज महंगाई में हम क्या करेंगे, हमारे बच्चे लोग क्या करेंगे, सब लोग अनाज खाते हैं, सब लोग अनाज खाते हैं, हम अपना जमीन नहीं देंगे, हमारे नाति, पाते क्या करेंगे, हम जमीन नहीं छोड़ेंगे, हम जान दे देंगे, लेकिन जमीन नहीं देंगे, कंपनी को यहॉ से भगाओ, हमको कंपनी नही चाहिए। हमारी बातें सुनकर आपको खुन के आसु आ जायें, हमको खेती चाहिए, हमको कंपनी नही ंचाहिए, हम अपने जीवन से खुश हैं, हमको कंपनी नहीं चाहिए।

11. शान्ति महतो, बायसी कालोनी – आज लोगों को उद्योग अच्छे लगते हैं तो आज लोग धान चावल क्यों खाते हैं, हम जानते हैं कि उद्योग जरुरी है, लेकिन हम लोगों को जवाहर लाल नेहरु ने कई वादे करके लाया था, हमको कृषि अच्छा लगता है, हमने बहुत कष्ट झेला है, हम लोग हम जमीन नहीं देंगे, हम जमीन दे देंगे तो हमारे बाल बच्चे क्या खायेंगे, हम कहॉ जायेंगे। यहॉ का पर्यावरण बहुत अच्छा है लेकिन उद्योग के खुलने से यहॉ का पर्यावरण खराब हो जायेगा, खेती कम होगा तो देश का विकास रुक जायेगा, हम कृषि करना चाहते हैं, उद्योग नहीं चाहते हैं।

12. कालीदास, बायसी कालोनी – जब मैं आयी थी तो बहुत छोटी थी, हमको माईग्रेसन करके यहॉ लाया था, इनके सास इनको कनकी देती थी, उसी को खाकर मैने अपना जीवन यापन किया है, हकारी जिंदगी के बारे में आज जानेंगे तो पता चलेगा, हमको उद्योग नही ंचाहिए, उद्योग समस्त बुराईयों का जड़ है, बाहर के लोग आते हैं तो यहॉ बहुत अपराध बड़ेगा, हमारे यहॉ बहुत अच्छा वातावरण है, हमको उद्योग नहीं चाहिए, उद्योग से 10 प्रतिशत फायदा है तो 20 प्रतिशत हानि है, हम अपना जमीन नहीं छोड़ेंगे, हमको उद्योग नहीं चाहिए।

13. विराज माहेन पाल, हाथीगढ़ा – हमको पुर्नवास में हाथीगढ़ा में जमीन दिया गया , एक दिन जब मेरे बच्चे बहुत भूखे थे, तो अनाज मांगकर खाये और एक कंपनी के पास काम मांगने गये थे, लेकिन हमको काम नहीं मिला, हम लोग अपना जमीन नहीं देना चाहते, हम लोग बांग्लादेश से आये थे, खेती के बिना देश की उन्नती हो नहीं सकती है, हम लोग जमीन दे देंगे तो क्या करेंगें, चकंपनी जमीन को नष्ट कर देगा,

14. मंगल चन्द्र विश्वास, बायसी कालोनी – बंटवारा के समय मैं पाकिस्तान से भार आया भारत स्वतंत्र तो हुआ लेकिन आज तक स्वतंत्र नहीं हो पाया, पूर्वी बंगाल को पाकिस्तान बनाया गया, वहॉ बहुत मारकाट हुआ, पं. जवाहर लाल नेहरु ने कहा हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, हम सभी हिन्दुओं को अपने देश में जगह देंगे, हम लोग पश्चिम बंगाल में आये, हमें कैंप में रखा गया, वहॉ हमको जो कष्ट हुआ वो ये लोग क्या जानेंगे जो ए. सी. कमरे में रहते हैं, उसके बाद हमको यहॉ लाया गया और जमीन दिया गया और कहा गया कि आपको यहॉ से कोई नहीं हटायेगा, हमको जब जमीन दिया गया था, वह बंजर था, हम 322 बंगाली परिवारों ने बाहर में काम करके और फिर जमीन को बनाने में ध्यान दिया आज उस जमीन में दो–तीन फसल हो रही है। हम लोग क्यों दुख भोग रहे हैं,सभी ग्राम सभा में आपत्ति किया गया है, फिर भी यह जन सुनवाई हो रहा है, कंपनी हमारे बारे में कुछ नहीं सोच रहा है। हम कोयला और सोना खाकर नहीं रहेंगे, हम अनाज खायेंगे, यह नाटक करने की क्या जरुरत है, हमारी बात दिल्ली तक नहीं पहूँचेगा यह यहीं पर खत्म हो जायेगा। हमारे संविधान में सभी को समान अधिकार है, नियम कानून गरीबों के लिये ही बना है अगर बना होता तो पंचायत के आपत्ति के बिना यह जन सुनवाई नहीं होता। हम लोगों ने रैली भी निकाली, ज्ञापन भी सौंपा लेकिन कोई मतलब नहीं निकला, इसी जमीन में हमने उत्पादन करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, पैसा कितना दिन चलेगा। यहॉ खनिज संसाधन है मैं मानता हूँ लेकिन क्या इनके द्वारा सभी बातों को पालन किया जा रहा है, जमीन के बदला जमीन, घर के बदले घर दिया जायेगा, हमको विस्थापित करके कहॉ बसाया जायेगा। हमेशा हमलोग आपत्ति करते रहेंगे। कलेक्टर साहब, एस. डी. एम. साहब मानव को मारकर जिंदा नहीं रह सकेंगे। जो कोई भी हमारा साथ देने आयेंगे उनको बंद कर देंगे, अमीत जी को बंद कर दिये हैं, हमको भी बंद कर दिजीये। नियमों का पालन सभी करें तो हम भी करेंगे, क्या हम लोग मानव नहीं हैं पुलिसभी हमारे जैसे ही आदमी हैं । जैसे जिंदल मरा था वैसे ही ये भी मरेंगे। हम जो बता रहे हैं उसको सही रुप में लिखने वाला कोई है, कलेक्टर, एस. डी. एम. के उपर जो विश्वास करते थे, वह टूटता जा रहा है, आपके पास घर है, हमारा घर लेकर वो लोग घर नही देंगे, अगर हमारा जमीन लेते हैं तो हमको जमीन के बदले जमीन दे, घर दे।

15. कमलीनि मंडल, बायसी – जब मैं यहॉ आई थी, तो मेरे चार पुत्र थे, उनमें से दो मर गये, इन्होंने अपने बच्चों को दूसरे के खेत में काम करके पाले हैं, आज हमने अपने कृषि भूमि को बहुत मेहनत करके उपचाउ बनाया है, हम यहॉ से कहीं नहीं जायेंगे, हम कंपनी को जमीन नहीं देंगे। अगर जहवार लाल नेहरु ही कहे कि हम कही और जमीन देंगे तो हम तभी जायेंगे, लेकिन उनका देहांत हो गया है सरकार भी बोले तो हम अपनी जमीन नहीं देंगे, भले ही जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे।

16. गंगा मंडल, बायसी कालोनी – जब हम पाकिस्तान से आये थे, तो महुआ का लड्डू बनाकर खाकर जीवन यापन करे हैं, जमीन को नहीं देंगे, हमने बहुत कष्ट करके जमीन को उपजाऊ बनाया है। हम यहॉ से नहीं जायेंगे। मैने अपने छै पुत्र को मेहनत करके ही पालन किये हैं। हमको उद्योग नही चाहिए।

17. धनकुंवर, बायसी – हम जमीन काट कर खेत बनाये, पानी पीकर जीवन काटे, तब हमको पता चला, हमलोग अपना जमीन नहीं देंगे। अपने बाप–दादा के समय की

जमीन को नहीं देंगे, हमारा जान चले जाये, लेकिन हम लोग जमीन नहीं देंगे, हम दूसरे के यहॉ काम नहीं करेंगे, अपने जमीन में ही काम करेंगे, हमारे बाल–बच्चे काम करेंगे उसको खायेंगे, कंपनी हमको भगा रहा है, हम अपना जमीन नहीं देंगे, इस कंपनी को भगाओ यहॉ से । हम जमीन दलाल को नहीं देंगे, हमारे बाल बच्चे भूखे मर जायेंगे, हमको पैसा नहीं चाहिए, हमारा जान चले जाये लेकिन जमीन नहीं देंगे, जंगल को हमने जमीन बनाया है। हमने अपना पसीना सिंचकर जमीन को बनाया है, कंपनी को यहॉ से हटाओ। दलाल को भगाओ, हम बूढ़े हो गये अब क्या काम करेंगे। हम अपना जमीन नहीं देंगे।

18. रविन्द्र मंडल, धर्मजयगढ़ कालोनी – क्या आप अपना पेशा छोड़कर खेती किसानी कर सकते हैं, उद्योगपति बतायें कि क्या वे भूमि को जोत सकते हैं, अगर नहीं तो हम गरीब किसानों को जो पैसे को खर्च करने के आदि नहीं है, जो इस भूमि पर काम करते अपना पीढ़ी बिता दिया है, जिन्होंने अपना खून पसीना सिंचकर इस जमीन को बनाया है, आज उनको जमीन छोड़ने को कहा जाता है, आज जो मेट्रिक पास लड़के हैं वे बेरोजगार घूम रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ाई के साथ–साथ नागर जोतना भी सिखते हैं, अगर आप लोगों को नौकरी से हटा दिया जाये तो क्या आप दूसर काम कर सकते हैं, अगर नहीं तो फिर हम किसानों को क्यों खेती से हटाया जा रहा है, अगर किसानों के बच्चे बिगड़ गये तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। हमारे गांव में दरवाजे बंद नहीं किये जाते हैं, यहॉ चोरी नहीं होती। यह षणयंत्र है, हमको जमीन से बेघर करना चाहते हैं। आजादी के समय हम अपने घर को छोड़ने पर मजबूर हो गये, हमको आज 60 साल तक घूमाया जा रहा है और पट्टा नहीं दिया गया है। इस तरह का अत्याचार बंद करिये और हमको अपने घर से बेघर मत करिये, आप लोग कहते हैं, कि यहॉ पर्यावरण प्रदूषित नहीं होगा, कोयले के पानी से ब्रोंकाईटिस का बीमारी हो जायेगा, दुर्घटनाएं बढ़ेंगी, कोरबा और रायगढ़ में इतना फैक्ट्री खुल गया है, वहॉ का वातावरण दूषित हो चुका है, धर्मजयगढ में भी प्रदूषण फैल जायेगा। हम लोगों ने बहुत विरोध किया और करबद्ध प्रार्थना किया, फिर भी हमारे तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हम अपने अंतरआत्मा के दुख को बोले हैं।

19. अराधन दास, बायसी कालोनी –हम किसान है, किसानों के लिये अपनी जमीन ही हमारी मां है, हम अपनी मॉ का सौदा नहीं करना चाहते, हम जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे, आज हमारे बाप–दादा ने इस जमीन को सिंचकर बनाया है, हम इतने गैर गुजरे नहीं है जो अपने बाप–दादा की जमीन को सुरक्षित नहीं रख सकते।

20. जगन मंडल, मेडरमार – हम किसी भी हालत में जमीन नहीं देना चाहते, हम अपने बाप–दादा पुरखों की जमीन नहीं देंगे, चाहे हमें नक्सली बनना पड़े हम यहॉ आतंक फैला देंगे, हम शासन को नक्सली देंगे, जब तक कंपनी का विरोध करेंगे, हम जमीन नहीं देंगे।

21. रेखा सरकार, बायसी – मैं जमीन नहीं दूंगी, मर जायेंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे।

22. सुशीला मंडल, बायसी कालोनी – जमीन मेरी मां है कोई मां को मरते देख सकता है, जमीन हमारी मां है, हमने बंजर जमीन को बनाया है, हमारे सास–ससूर, मॉ–बाप ने जमीन को बनाया है हम जमीन को नहीं देंगे, पैसा कोई खा सकता है, हम जमीन नहीं देंगे।

23. पांचोबाई, बीजापतरा – हम लोग कहॉ जायेंगे, हमारी जमीन को ले लेंगे तो हम कहॉ जायेंगे, महुआ डोरी कहॉ से लायेंगे।
24. कमला मजूमदार, बायसी कालोनी – हम 60–70 साल पहले पाकिस्तान से आये थे, और बहुत कष्ट उठाये थे। हमने बहुत मेहनत करके जमीन को खेती लायक बनाये थे, हम एक बार पुर्नवास होकर आये थे, लेकिन अब और नहीं जाना चाहते हैं और कष्ट नहीं पाना चाहते है। हम जमीन नहीं देंगे।
25. हरितसी राय, बायसी कालोनी – हम जमीन देंगे नहीं, मैं बचपन से बांग्लादेश से आई हूॅं, आज बहुत मेहनत करके जमीन को बनाई हूॅं। हम जमीन नहीं देंगे।
26. रिक्सोना विश्वास, बायसी – जान दे देंगे जमीन नहीं देंगे, हम लोग बहुत मुश्किल से जमीन को बनाये हैं।
27. शीला विश्वास, बायसी कालोनी – हम अपना जान दे देंगे, लेकिन जमीन नहीं देंगे।
28. अंजूरानी, बायसी कालोनी – हम लोग जमीन नहीं देंगे, हम लोग बहुत मेहनत से घर और जमीन को बनाये है, बाल–बच्चों को बड़ा किये हैं, हम लोग जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे, कंपनी को सोचना चाहिए, उनके भी बाल बच्चे और बीवी है, वे क्यों नहीं समझते हैं, हमको क्यों परेशान करते हैं, उनकी आत्मा मर गई है क्या ? आदमी का खून पीकर नशा करते हैं कंपनी के लोग।
29. नोनी सरकार, बायसी कालोनी – हमको कंपनी नहीं चाहिए, हमारा खेत बहुत अच्छा है, हमको नौकरी नहीं चाहिए, हम नौकरी नहीं करेंगे, हम खेती करेंगे। हम जमीन नहीं छोड़ेंगे, कंपनी यहॉ से हटाकर जाइये।
30. पारो मंडल, बायसी कालोनी – हमारा जान जायेगा लेकिन जमीन नहीं देंगे।
31. प्रमिला विश्वास, बायसी कालोनी – हमारे बच्चे यहॉ रह रहे हैं और सुख से हैं, हम लोग जमीन नहीं देंगे पैसा मिलेगा तो हमारे बच्चे उसे उड़ा देंगे हम खेत नहीं देना चाहते ।
32. उर्मिला मंडल, बायसी कालोनी – हमारा जमीन हमसे नहीं छिना जाये, हमारे जमीन में हमारा हक है, कंपनी का हमारे जमीन में क्या हक है, हम लोग कंपनी को जमीन नहीं देंगे। हम लोग जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे, बाल–बच्चे लेकर मर जायेंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे।
33. पात्रो बाई, बीजापथरा – हमने मिट्टी खोदकर जमीन बनाया है हम जमीन को छोड़कर कहॉ जायेंगे हम जमीन नहीं देंगे।
34. श्यामोली विश्वास, बायसी कालोनी – हम जान देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे।
35. कनिका विश्वास, धर्मजयगढ़ कालोनी – जमीन नहीं देंगे, मर जायेंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे।
36. उर्मिला, बायसी – हम लोग बहुत दुख में आये हैं, मुसलमान काटकर फेंक रहे थे, हम यहॉ आये हैं, हम जान देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे।
37. निर्मला मंडल, हाथीगढ़ कालोनी – हम लोग जमीन नहीं देंगे।
38. बसंती दास, धर्मजयगढ़ कालोनी – हम जमीन नहीं देंगे।
39. पुन्नी राय, बायसी कालोनी – हम लोग जमीन नहीं देंगे, हमारे बाल–बच्चे सब पढ़ लेंगे, हमारा बच्चा पढ़ने के लिये उड़िसा गया है, कंपनी से उसको क्या देगा, हम लोग जमीन नहीं देंगे।
40. नमिता मंडल, बायसी – हमारे माता–पिता मेरे को जब छोटी थी तब लेकर आये थे, बहुत कष्ट सहकर हमको पाले थे, खेत को बहुत कष्ट से बनाया है, हम लोग अपनी जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे।

41. रघुवीन प्रधान, एकता परिषद, रायगढ़ – हम स्थानीय लोगों के जल, जंगल और जमीन के अधिकार के लिये आंदोलन करते हैं, ई. आई. ए. को बंगाली में नहीं दिया गया। ई. आई. ए. बंगाली में होनी चाहिए थी, बालको वेदांता कंपनी का ग्रुप है, क्या छ.ग. के धर्मजयगढ़ कालोनी में वन अधिनियम का उल्लंघन नहीं होता है। अहिंसा पूर्वक अपना काम हो यह मंच बनाया जाना चाहिए, विकास के लिये कोयला, बिजली जरुरी है, लेकिन उसपर आधिपत्य किसका होना चाहिए यह तय हो, ये लोग बाहर से आकर यहॉ बसाया गया था, इनको मुआवजा न देकर इनको मालिकाना हक दिया जाये, रायगढ़ में और 23 कंपनी और आना है, पर्यावरण का आंकलन नहीं किया गया है, जब कोयला का समापन किया जाता है, उसका कोई प्लान नहीं बनाया गया है। ई. आई. ए. में लैण्ड यूज पैटर्न दिया है उसके आधार पर मात्र 16.64 हेक्टेयर भूमि को बताया है जबकि ई. आई. ए. अधिसूचना अनुसार 33 प्रतिशत ग्रीन बेल्ट बनाया जाना जरुरी है। सेड्यूल–1 में हाथी और जो अन्य जानवर आते हैं, उसके बारे में बताया है फिर भी इनको परमिशन कैसे दिया जा रहा है। कोर जोन में 2750 एकड़ का बताया है उसमें बफर जोन का कोई जिक्र नहीं किया गया है। मार्च 2010 के बजट के अनुसार 26 प्रतिशत भागीदार भूमि मालिक को दिया जाना बताया गया है क्या उसका पालन किया जायेगा, मैं अपना लिखित आवेदन दे रहा हूँ।

42. संजय कुमार डे, धर्मजयगढ़ कालोनी – विस्थापन, विस्थापन,विस्थापन, एक बार भारत के विभाजन के समय विस्थापन और फिर उद्योग के लगने पर विस्थापन, ई. आई. ए. में पूरी झूठी, जानकारी दी गई है, बताया गया है कि कोई एतिहासिक क्षेत्र नहीं है, जबकि 7 कि.मी. की दूरी पर ओंगना स्थित है, यहॉ पर कोई भी टेक्निकल संस्थान नहीं होने की जानकारी दी गई है, जबकि आजादी के बाद से ही यहॉ आईटीआई स्थापित है और कई विद्यालय स्थापित है, बैंक और अन्य कार्यालय स्थापित हैं, कंपनी के लगने से यहॉ के लोग वनोपज, हर्रा, महुआ, डोरी आदि समाप्त हो जायेंगे, पहले ये लोग केंसर बांटेंगे फिर उसके ईलाज के लिये अस्पताल खोलेंगे, माण्ड नदी से पानी लिया जायेगा, जिससे माण्ड का जल स्तर सूख जायेगा, रेल लाईन बिछाने पर यहॉ की जमीन दो भाग में विभाजित हो जायेगी, किसानो को अपना बैलगाड़ी और पानी ले जाने में बहुत परेशानी होगा, अभी एक कोल ब्लाक की जन सुनवाई नहीं हुई है और दूसरे कोल ब्लाक के लिये जन सुनवाई का मार झेलना पड़ेगा, इस दो ब्लाक से 12 गांव प्रभावित हो रहे हैं, तीन और ब्लाक बचे हुए है, उसे भी किसी दिन दे दिया जायेगा, जिससे धर्मजयगढ़ का पूरा अस्तीत्व समाप्त हो जायेगा, उद्योग के द्वारा स्कूल की स्थापना कर मोटी फिस वसूली की जायेगी। यह कोल ब्लाक यहॉ लगना उचित नहीं है, जो लोग 1954 ये यहॉ कास्तकारी करते आज रहे हैं, वे आज अपनी जमीन को उपजाऊ बनाकर दो फसल ले रहे है, वे प्रभावित होंगे, हम इस कोल ब्लाक का घोर आपत्ति करते हैं और इसका विरोध करते हैं। बालको वापस जाओ।

43. लखन मिस्त्री, मेंढरमार कालोनी – हम लोग बांग्लादेश से आये थे।

44. जयंत बहिदार, रायगढ़ – आदरणीय पीठासीन अधिकारी जन सुनवाई को यहीं रोक दी जाये, जब कलेक्टर महोदय के सामने बात हुई थी कि स्कूल के सामने पण्डाल लगाया जायेगा, फिर रात के समय भगवान को क्यों उठाया गया और लोगों को धमका कर यहॉ से भगाया गया है। अमित जोगी जी को कल गिरफ्तार क्यों किया गया, उनको जब यहॉ लाया गया है तो मंच पर क्यों आने नहीं दिया गया है। जन

सुनवाई बंद करो, गांव वालो और महिलाओं के साथ धोखा किया गया है। ई. आई. ए. नोटिफिकेशन में यह स्पष्ट है कि प्रत्येक जन सुनवाई में स्थल उपस्थित कंपनी प्रतिनिधि से सवाल पूछने का अधिकार है, कंपनी प्रतिनिधि को बुलाया जाये हम उनसे सवाल पूछना चाहते हैं, टापवर्थ के भी जन सुनवाई में आपने कहा था, कि कंपनी प्रतिनिधि से जवाब लिया जायेगा, लेकिन उनके जवाब को कार्यवाही विवरण में शामिल नहीं किया गया है। ये लोक सुनवाई भारत के पर्यावरण कानून और उसके द्वारा जारी अधिसूचना का उल्लंघन करके किया जा रहा है यह अनुसूचित क्षेत्र है यहॉ पांचवीं अनुसूची कानून का घोर उल्लंघन हो रहा है, इस पर रोक लगाई जाये, हमारे पूर्व कलेक्टर ने लोक सुनवाई पर रोक लगाया था, वर्तमान कलेक्टर ने उसकी मंजूरी क्यों दी। भारत सरकार द्वारा जो टी. ओ. आर. जारी किया गया है उसको सामिल किये बिना लोक सुनवाई नहीं हो सकती क्या आपके द्वारा अध्ययन किया गया है कि यह ई. आई. ए. झूठा और फर्जी बनाई गई है, भाजपा सरकार कंपनियों के गोद में बैठी हुई है, अमित जोगी की गिरफ्तारी कंपनी को और प्रशासन को महंगा पड़ेगा। डी. बी. पावर ने उन गांवों की जमीन मांगी है, जिसके लिये वेदांता की जन सुनवाई हो रही है, गांव वाले कहॉ जायेंगे। कंपनी ने बताया है कि यह जमीन उपजाऊ नहीं है दो फसल लेते हैं यहॉ के बंगाली भाई लोग इस जमीन में, प्रस्तावित परियोजना के लिये 365 हेक्टेयर जमीन बताया गया है, हमारी छ.ग. सरकार ने जांजगीर में जो वन की कमी है उसके लिये पेड़ लगाने हेतु कहा गया है। जंगल को उजाड़ने हेतु कंपनी को दिया गया है। हमारी बातों को ठीक से दर्ज नहीं किया जाता है। रायगढ़ से आ रहे हैं, जगह–जगह डम्फर खड़ी हैं, उनको हटाने का काम हमारी आर.टी.ओ. नहीं करती है, इसके कारण दुर्घटना होती है, सड़क के किनारे जो भी गैरेज हैं, उनको हटाया जाये, ये डम्फर के ड्रायवर सड़क के किनारे गाड़ी खड़े करके खाना खाने और शराब पीने जाते हैं, घंटो गाड़ी सड़क पर खड़ी रहती है, रायगढ़ जिले में बहुत अधिक उद्योग हो चुके हैं, और प्रदूषण बहुत अधिक बढ़ गया है। हमारे छत्तीसगढ़ में खेती का रकबा घटते जा रहा है उड़िसा की धान को खरीद कर सरकार इसकी पूर्ति कर रहा है। इस जन सुनवाई को तत्काल रोक दिया जाये। जब तक हल्ला बंद नहीं होगा नहीं बोलेंगे, यह हल्ला प्रशासन करा रहा है। हमारे इस जन सुनवाई के विरोध में 200–250 लोगों को रोक दिया गया है। हमारे कांग्रेस के लोगों को रोक दिया गया है, जब तक वे लोग नहीं आ जाते हम यह कार्यवाही नहीं होने देंगे। जन सुनवई बंद करो। हमने जिला प्रशासन को और पर्यावरण अधिकारी को आपत्ति प्रस्तुत किया गया था, उस पर क्या कार्यवाही की गई है। जन सुनवाई कराने का दायित्व आपका है और सभी लोग जन सुनवाई में आकर अपने आपत्ति कर सके। आप हमारी बात को ध्यान नहीं दे रहे है, वहॉ पर पुलिस बल ने हमारे 1000 साथियों को रोक दिया गया है, प्रशासन की जिम्मेदारी है कि हमारी बातों को रखने दिया जाये। जयंत बहिदार को गिरफ्तार कर लो लेकिन जन सुनवाई को रोक दो। लोगों को लोक सुनवाई में आने नहीं दिया जा रहा है। जन सुनवाई निष्पक्ष नहीं हो रही है। हमने दूसरे पत्र में यह लिखा था, कि कंपनी को यहॉ से कोयला 800 से 1100 मेगावॉट विद्युत संयंत्र में उपयोग करने हेतु कोल उत्खनन हेतु अनुमति दी गई है। सब घोलमाल चल रहा है, घपला हो रहा है। हम सरकार से यह मांग करते हैं कि इस कंपनी की जन सुनवई़ निरस्त कर दी जाये, ई. आई. ए. का पालन नहीं किया

गया है, 45 दिन के अंदर जन सुनवाई नहीं किया गया है। टी. ओ. आर. का पालन नहीं किया गया है।

45. गीतांजली पटेल, चन्द्रपुर विधान सभा – इस लोक सुनवाई का मैं पुरजोर विरोध करती हूँ, यहॉ के लोग 26 जनवरी को भाषण दिया गया है कि भारत के संविधान में सभी को बोलने का अधिकार है, हमारे 500 साथियों को बाहर रोक दिया गया है। जो लोग अपनी बात करने आये हैं, यहॉ पर 170 ख का खुला माखौल उड़ासया जा रहा है। जैसे पुर्नवास नीति है उससे बेहतर करने की बात कही गई है, लेकिन कैसे की गई है इसकी जानकारी नहीं दी गई है, खाने पीने की व्यवस्था की गई है। दिखावा की जन सुनवाई को बंद की जाये, हम इस जन सुनवाई का विरोध करते हैं। यह कैसा जन सुनवाई है, आपके आफिस के सामने लिखा होता है परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च् दुष्क्रिताम्, लेकिन यह कैसी मजीबूरी है आप भोले–भाले लोगों को रोककर रखे हैं।

46. पदमा घनश्याम मनहर, विघायिका, सारंगढ़ – आज धर्मजयगढ़ में भारत एल्यूमिनियम के द्वारा कोल माईन हेतु जन सुनवाई के तहत् वेदांतां कंपनी का विरोध करती हूँ, हमारे पार्टि के पूर्व मुख्यमंत्री के पूत्र को गिरफ्तार करके रखा गया है, मैं उसका विरोध करती हूँ, महिलाओं को बंदि बनाकर रखा गया है उनको छोड़ा जाये, मैं विरोध करती हूँ।

47. गनपत चौहान, छाल – वेदांता कंपनी के द्वारा बायसी कालोनी और आस–पास के किसानों से जबरदस्ती जमीन ले रहे हैं, जब गांव के लोग अपनी जमीन नहीं देना चाहते, तो फिर उनकी जमीन क्यों ली जा रही है। यह कंपनी 4 मिलियन टन क्षमता हेतु माईन खोली जा रही है, जैसी स्थिति बरौद में होती है जैसी जाम वहॉ होती है, लोग अस्पताल भी नहीं पहुॅच पाते हैं और उनकी मौत हो जाती है, फिर 4 मिलियन टन हेतु यहॉ कितनी अव्यवस्था होगी, ई. आई. ए. रिपोर्ट पूर्णतः निराधार और असत्य है यहॉ एक नदी है नदी में प्रदूषण फेलेगा, हमारे क्षेत्र में अराजकता फेलेगी, नौकरी के संदर्भ में कहते हैं कि कूली कबाड़ी का काम दिया जायेगा, औने–पौने दाम पर जमीन खरीदी जा रही है। जब जमीन नहीं देना चाहते हैं तो जबरन जमीन नहीं लेना चाहिए और जन सुनवाई यहीं पर समाप्त कर देना चाहिए, यह वेदांता कंपनी अंग्रेज प्रवृत्ति की है। ये जो अंग्रेज लोग आये हैं, उन्होंने हमारे लोगों को रोका है, क्या उन्होंने अपराध किया है, उनको तत्काल रिहा किया जाये, ताकि वे आकर अपनी बात कह सकें। क्षेत्र की जन भावना और प्रकृति को ध्यान में रखते हुए स्वीकृति प्रदान नहीं किया जाये। मैं विरोध करता हूँ।

48. रविन्द्र गबेल, उपाध्यक्ष युवा कांगेस, खरसिया – हमारे साथियों को यहॉ पर आने से रोका जा रहा है, पुलिस प्रशासन कंपनी के साथ है या जनता के साथ बताया जाये।

49. राजकुमार मिश्रा, अंबेटिकरा, धर्मजयगढ़ – हम सब जानते हैं कि धर्मजयगढ़ क्षेत्र के नीचे कोयले का विशाल भण्डार है, सरकार ने इसको 6–7 लोगों को बांट दिया है, कंपनी यहॉ केंसर अस्पताल खोलने जा रहा है, यहॉ धर्मजयगढ़ क्षेत्र में कितने लोग केंसर से पीढ़ित हैं, यहॉ की जलवायु केंसर को फटकने नहीं देती, जब कंपनी आयेगी तो उससे जो प्रदूषण होगा तो कैंसर होगा। ये कंपनिया यहॉ शिक्षा देगे कहती है, यह कंपनी जो शिक्षा देती है उससे वह मजदूर पैदा करते हैं। हमें आज इस जमीन से जो नून भात खाते हैं, वह कंपनी के मालिक वेदांता के द्वारा दिये

गये हलवा पुरी से बेहतर है। धरती हमारी माता है क्या कोई अपनी माता का सौदा करता है अगर कोई सौदा करता है तो वह अपनी मॉ का सौदा कर रहा है।

50. मिहिरमार भंभर,मेडरमार– बहुत दुख तकलीफ से जमीन बनाये हैं, जमीन नहीं छोड़ेंगे।
51. सुमति विश्वास, बायसी – हम लोग जमीन दे देंगे तो क्या खायेंगे। हम अपना जमीन नहीं देंगे, नहीं देंगे।
52. शोभा विश्वास, बायसी कालोनी – हम अपनी जमीन नहीं देंगे, जो लोग हमारी जमीन लेने आये हैं उसका चेहरा देखना चाहते हैं। हम अपना जमीन नहीं देंगे, यहॉ से नहीं जायेंगे।
53. सपना विश्वास, बायसी कालोनी – कंपनी के आने से हम जैसे लोगों का घर से निकलना मुस्किल हो जायेगा, हमको कंपनी नहीं चाहिए, जन सुनवाई बंद करो, हम जमीन नहीं देंगे।
54. हरिदसी सित, बायसी कालोनी – हम इतने दूर से यहॉ आये थे, अब हम जमीन दे देंगे तो कहॉ जायेंगे हम जमीन नहीं देंगे।
55. कनक विश्वास, बायसी कालोनी – हम अपना जमीन नहीं देंगे।
56. शनिमति, बीजापथरा – हम लोक कैसे जियेंगे, जमीन नहीं देंगे, हम चावल का रोटी खाते हैं, भात खाते हैं, कोयला नहीं खायेंगे, जमीन नहीं देंगे।
57. मंजु मंडल, धर्मयजगढ़ कालोनी – हम जमीन नहीं देंगे, कंपनी को यहॉ से भगायेंगे, कंपनी किससे पूछकर आया है, हम सरकार से बात करेंगे, हम सब से बात कर चुके हैं, फिर कंपनी यहॉ कैसे घुस रहा है। उनका भी तो बच्चा है, उनका घर द्वार है, उनको हटा दिया जायेगा तो वे कैसे करेंगे, आप लोग कंपनी वालो का साथ मत दिजिये, हमारा साथ दिजिये आप लोग गद्दारी मत करिये। कंपनी को जमीन नहीं देंगे।
58. कनक विश्वास, धर्मजयगढ़ कालोनी – यह देश किसका है, हमारा या विदेशी कंपनी का, अगर राज्य सरकार साथ न दे तो कोई विदेशी कंपनी यहॉ कैसे आ सकता है, राज्य सरकार आकर हमें बोले तो हम उसे जमीन दे देंगे लेकिन विदेशी कंपनी को जमीन क्यों देंगे, अगर आपको बोला जाये कि आपकी मॉ और बेटी के पेट में हीरा है तो क्या उसे काट देंगे। क्या यह आपका देश नहीं है। हम इस विदेशी कंपनी को जमीन नहीं देंगे।
59. भारती घोष, मेंडरमार कालोनी – हमारे जमीन आज से 10 साल पहले बंजर था, उसको हम लोग बहुत मेहनत करके उपजाऊ बनाये हैं, हमारा जान चले जायेगा तो भी हम अपना जमीन नहीं देंगे।
60. प्रभाती डाली, धर्मजयगढ़ कालोनी – मैं भी चाहती हूँ कि मेरा जमीन नहीं लिया जाये, मेरे दो छोटे बच्चे हैं, उनको लेकर कहॉ जाऊॅगी, हम लोग कहॉ जायेंगे, उसी जमीन से हम लोग कमाकर खाते हैं, हम अपना जमीन नहीं देंगे।
61. मनोरंजन, हाथीगढ़ा – जब भारत और पाकिस्तार का लड़ाई हुआ था, तो हमको रायपुर में लाया गया वहॉ से हम फिर से बांग्लादेश चले गये लेकिन फिर से हमको धर्मजयगढ़ में बसाया गया हम लोग बहुत ठोकर खाकर अपना जीवन यापन किये हैं, हम लोग और कहीं नहीं जायेंगे, हम लोग जमीन नहीं छोड़ेंगे।
62. मनुमोहन मंडल, मेंडरमार कालोनी – आज जो जन सुनवाई हो रहा है उसमें हमने विरोध प्रदर्शन किया है और लिखा पढ़ी किया है। कंपनी ने यह आदेश दिया है और जन सुनवाई किया जा रहा है। जब दिल्ली सरकार को यह मालूम था कि इस

जमीन के नीचे कोयला, सोना चांदी हीरा है तो हमको यहाँ क्यों बसाया गया है। हम लोग जान दे देंगे, लेकिन जमीन नहीं देंगे।

63. कृष्णा वर्मन, बायसी कालोनी – हरिद्वार, देहरादुन में काम करते करते, हमने अपवने जमीन को प्लेन बनाया है अभी हमारे जमीन में दो फसली धान और गोभी हो रहा है। हम बालको वालों को अपना जमीन नहीं देंगे।

64. लालन प्रसाद डनसेना, उच्चमुण्डा – हम लोग यहाँ बोलने ही आये हैं, हमारे लोगों ने जमीन दिया है, कंपनी ने हमको काम देने की बात कही थी, यह कंपनी ने पहले तो कमा दिया और फिर उनको बैठा दिया गया, हमारे साथ जो अन्याय हुआ है वह इस क्षेत्र के किसानों के साथ न होने पाये, हमारे जमीन को कंपनी क्यों लेना चाहते हैं और आप उनका साथ क्यों दे रहे हैं, हम लोग कहाँ जायेंगे, हम अपनी जमीन को नहीं देंगे, हमारे जमीन की रक्षा किजिये, हमारे माँ की रक्षा किजिये।

65. बिहारी लाल, नरकालो – आज जो जन सुनवाई हो रहा है, धरती हमारी माता है हम इस जमीन से खाते कमाते आ रहे हैं, हम अपना जमीन नहीं देना चाहते हैं।

66. महेन्दर सिंह, क्रोन्धा – जितने लोग अभी खा रहे हैं वे अन्न को खा रहे हैं या कोयला को खा रहे हैं, जो कंपनी वाला है वह अन्न खाता है या कोयला को खाता है, जो लोग दलाली कर रहे हैं हम उनको जानते हैं, अभी के दलालों को तीन साल बाकी है भगवान आ रहा है उसका नाश करेगा।

67. हरिश चन्द्र हलधर, शाहपुर कालोनी – इस देश में छ.ग. को धान का कटोरा कहा जाता था, लेकिन आज के किसान अपना जान देने पर तुले हुए हैं, यहाँ उन्नति के नाम पर सरकार कंपनियों को लाने पर तुली है, किसान अपनी जमीन को बचाने के लिये अत्महत्या कर रही है, सरकार उनके हक का कोई मान नहीं दे रहा है। सरकार सोच रही है कि कंपनियों के आने से विकास होगा, लेकिन उन्होंने यह सोचा है कि आज कितने प्रतिशत खेती जमीन बची है, जब खेती के लिये भूमि नहीं बचेगी तब क्या धान कंपनी उगाएगी ऐसी कोई कंपनी है जिसमें धान उगाने की मशीन है, इस खेत को बनाने के लिये हम किसान बहुत मेहनत करते हैं, कंपनी हमारे जमीन की कीमत तो दे देगा, लेकिन क्या हमारे मेहनत की कीमत दे सकता है। माँ तो केवल 5 साल तक दूध पिलाती है लेकिन धरती मां हमें जिंदगी भर अन्न देता है, मेहनत करने से जो फसल होता है उसको किसान अकेले नहीं खाता है उसको हजारों लोग खाते हैं, किसानों को खेत से अलग नहीं किया जाये। यही मेरा अनुरोध है।

68. रामसिंह, कोयलार – हमारे ग्रांम कोयलार में कंपनी आ रही है हम जमीन नहीं देना चाहते हम मर जायेंगे, लेकिन जमीन नहीं देना चाहते हैं।

69. श्रीकृष्ण मल्लिक, शाहपुर कालोनी – हमारा जमीन बेनामी है कहकर ले लिया, हम कहाँ जायेंगे।

70. विधान कुमार मिश्र, शाहपुर कालोनी – 1947 को भारत आजाद हुआ था और रिफ्यूजि को लाया गया था, कई लोग मर गये थे, सरकार ने जो जमीन दी थी, तीन–चार पीढ़ी के बाद आज जमीन को फसल लगाने के लायक बनाया गया है, जो धान पंजाब में उगाया जाता है वही धान यहाँ के किसान इस जमीन में लगाकर दिखा देंगे। कई जगह हमने देखा है कि वहाँ कैसे परेशानी है, अगर आज इस जगह से जमीन ले लिया जायेगा तो हो सकता है कि कई तरह के लोग यहाँ रहते हैं कई लोग नक्शली बन जायेंगे। यहाँ भी नक्शलवाद पैदा हो जायेगा। यहाँ अगर प्लांट आयेगी तो वैसी सुविधा नहीं होगी, हमको प्लांट नहीं चाहिए।

71. अधिर विश्वास, धर्मजयगढ़ कालोनी – हम बंगालियों को शासन या प्रशासन पसंद नहीं करती, या हम लोग कर्मठ हैं इसलिये ध्यान नहीं देती, 55 साल हो गये हमको आज तक न तो जाति प्रमाण पत्र मिला, न भूमि का कोई पट्टा दिया गया। हमको सिंचाई की व्यवस्था भी नहीं की गई, बालको के द्वारा जो यहॉ कोल माईन खोलने का प्रस्ताव है, उससे हमारा धर्मजयगढ़ का पर्यावरण खराब हो जायेगा, खरसिया जाते समय आप देखेंगे कि घरघोड़ा से खरसिया जाने में डेढ़ घंटे लगेंगे, यहॉ भी वैसी ही अव्यवस्था हो जायेगी, मेरे पिताजी यहॉ आये थे मैं यहीं पैदा हुआ हूॅ और बूढ़ा हो गया लेकिन आज भी मैं शरणार्थी हूॅ, शरणार्थी होने का दुख क्या होता है, यह मैं ही जानता हूॅ। हम अब आवाज उठायेंगे।
72. शिवपद विश्वास, धर्मजयगढ़ कालोनी – हम किसी भी किमत पर अपना जमीन नहीं देना चाहते हैं, जो शासन ने किया है उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं।
73. रुकमणी विश्वास, बायसी कालोनी – हम जमीन नहीं देंगे, दलाल और कंपनी का हाथ–पैर तोड़ देंगे।
74. पदरसिया, धर्मजयगढ़ – हम जमीन नहीं देंगे।
75. रानी विश्वास, बायसी कालोनी –हम अपना जमीन नहीं देंगे।
76. मोदेस्ता बेग, पतरापारा – मेरे बाप दादा किसानी करके हमको पढ़ाये लिखाये, हम अपने जमीन को अपनी मॉ के रुप में देखते हैं हम उसको बेचना नहीं चाहते हैं, हम कंपनी को जमीन नहीं देना चाहते हम अपने जमीन का अन्न खाना चाहते हैं, कोयला नहीं खाना चाहते, यह कोयला खदान खुलेगा तो हमारे मॉ बेटे का इज्जत लेंगे। मै। अपने भाई बहनो से आशा करती हूॅ कि हम जान देंगे हम जमीन नहीं देंगे।
77. संगीता बाई, धर्मजयगढ़ – मैं एक किसान की बेटी हूॅ, हम इस धरती में रहते हैं। गीत गाया गया।
78. बिन्दु भोय, सरपंच, बायसी कालोनी – हमारा जमीन हम नहीं देंगे।
79. मायावती, बायसी कालोनी – हम जमीन नहीं देंगे, हम कहॉ जायेंगे, हम जमीन नहीं देंगे।
80. लीला, बायसी कालोनी – हम जमीन नहीं देंगे , मर जायेंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे।
81. पूर्वी हकलदर, हाथीगढ़ा – मेरा जन्म पाकिस्तान में हुआ था, मेरा उमर 2 साल था जब मैं यहॉ आई थी, हमको कई जगह विस्थापित किया गया था, और अंत में हमें यहॉ बसाया गया था, हमको जो जमीन दिया गया था, वह बंजर था, हमने उसको बहुत मेहनत करके सिंचा है मै जमीन नहीं देना चाहता हूॅ।
82. मंगल सिंह राठिया, कोयलार – मैं बहुत गरीब हूॅ मुझे गरीबी रेखा कार्ड किसी ने नहीं दिया है।
83. अशोक राय, बायसी कालोनी – मैं किसी कंपनी को जमीन नहीं देना चाहता हूॅ, हम कोयला नहीं खायेंगे हम जीना चाहते हैं।
84. ठाकुर राय, बायसी कालोनी – हम मर जायेंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे।
85. विमल दास, धर्मजयगढ़ कालोनी – बचपन से आज तक मेरे माता–पिता ने जमीन को बचाया है, उसमें अनाज उगाया गया है, आज आप आकर हमारा जमीन छिन लेंगे तो हम क्या करेंगे, भूख लगता है तो अनाज खाते हैं, कोयला नहीं खाते हैं। हम जमीन नहीं देना चाहते हैं, पैसा कितना दिन तक चलेगा। हम अपना जमीन नहीं देंगे।

86. भैरव मधु, बायसी कालोनी – अमित जोगी को हिरासत में लिया गया है, हमें भी ऐसा लग रहा है कि हमें पुलिस घेर कर रखी है, जन सुनवाई को निरस्त की जाये और हमको घर जाने दिया जाये।
87. उदयराम राठिया, धर्मजयगढ़ – धरती हमारी माता है अगर कंपनी अपनी मॉ का सौदा करता है तो हम लेने के लिये तैयार हैं।
88. नवीन हलधर, बायसी कालोनी – हमारे मॉ–बाप ने यहॉ जमीन को उपजाउ बनाया जिससे आज उस जमीन में दो फसल हो रहा है, उस धान से सैकड़ों लोग अपना भोजन करते हैं। हम किसी भी हालत में अपना जमीन किसी को नहीं देंगे। हम जमीन देने के लिये तैयार नहीं है।
89. बाबू विश्वास, बायसी कालोनी – मैं अपना जमीन इसलिये नहीं देना चाहता क्योंकि एक फसल में मैं अपना जीवन यापन कर लेता हूॅ, हम कंपनी को जमीन नहीं देना चाहते।
90. विजय सिल, बायसी कालोनी – मैं जब जन्म नहीं लिया था, उससे पहले मेरे माता–पिता इस जमीन में आये थे, उन्होंने इस जमीन को उपजाऊ बनाये हैं, इस क्षेत्र में बहुत सारे धान और अनेक फसल उगाये जाते हैं। दुनिया में ऐसी कोई पैसा नहीं है जो हमारी माता को खरीद सके।
91. अखिल कुमार, बायसी कालोनी – मुझे मोनेट में काम मिला था, लेकिन मेरा दूषित खाना और पानी पिकर बीमार हो गया था, मुझे 7000 बोलकर ले गया था लेकिन 6000 देता था।
92. विधान हलधर, मेंडरमार – हम जमीन नहीं देंगे।
93. सुदिप सरकार, धर्मजयगढ़ – हम नहीं चाहते कि बालको हमारे धरती माता का चिर हरण करे, हम इसका विरोध करते हैं।
94. दुलाल, मेंडरमार – जमीन नहीं देना चाहते।
95. शान्ति हलधर, मेंडरमार – हम अपना जमीन नहीं देना चाहते हैं।हम लोग चार भाई हैं, हम जमीन नहीं देंगे।
96. राजा विश्वास, बायसी कालोनी – हम लोग जमीन नहीं देंगे, चाहे आर–पार की लड़ाई क्यों न लड़ना पड़े ।
97. विक्रम कुमार, बायसी कालोनी – हमारा कंपनी से सहमती नहीं है हम जमीन नहीं देंगे।
98. प्रमिला, बायसी कालोनी – मेरे छोटे बच्चे हैं हमारा जमीन ले लेंगे तो हम कहॉ जायेंगे, हम कंपनी को जमीन नहीं देंगे।
99. मुनीदास, बायसी कालोनी –हम कंपनी को जमीन नहीं देंगे।
100. माया घोष, बायसी कालोनी – हम जमीन नहीं छोड़ेंगे।
101. कनक विश्वास, बायसी कालोनी – हम जमीन नहीं देंगे।
102. रुपषी विश्वास, बायसी कालोनी – हम जमीन नहीं देंगे।
103. गोपाल विश्वास, बायसी कालोनी – मैं कंपनी का विरोध में हूॅ, नौकरी क्या है यह मैं जानता हूॅ, मैं भुगत चुका हूॅ, मैं अपना खेती करता हूॅआज मेरा पोजिशन ठीक है, कंपनी का विरोध है।
104. धर्मेन्द्र सिंह, मेंढरमार – हम जमीन नहीं देंगे।
105. प्रेमानंद दास, बायसी कालोनी – हम किसी भी हालत में कंपनी को जमीन देना चाहते हैं।

106. राकेश विश्वास, बायसी कालोनी – मैं किसान का बेटा हूँ, आप हमारा जमीन कंपनी को मत दिजिये हम कंपनी को जमीन नहीं देंगे।
107. राजेन्द्र विश्वास, बायसी कालोनी – कंपनी आती है और गंदगी और प्रदूषण फेलाती है।
108. राजेश मंडल, बायसी कालोनी – हम जमीन नहीं देंगे।
109. गोविंदा सिंह, बायसी कालोनी – हम जमीन नहीं देंगे।
110. संजु मंडल, बायसी कालोनी – मैं अपना जमीन नहीं देंना चाहता
111. संतोष विश्वास, बायसी कालोनी – हम जमीन नहीं देना चाहते ।
112. विपुल कुमार मलिक, बायसी कालोनी – कंपनी यहॉ खुलेआम दारु मुर्गा बांद रहा है, शासन अपना आंख खोले।
113. राजेश मंडल, बायसी कालोनी – हम अपना जमीन नहीं देना चाहते।
114. संतोष मंडल, बायसी कालोनी – हम अपना जमीन नहीं देना चाहते।
115. प्रहलाद मंडल, बायसी कालोनी – हम मजदूरी नहीं करना चाहते, हम अपना जमीन नहीं देना चाहते।
116. नरेश पटेल, बायसी कालोनी – हम अपना जमीन नहीं देना चाहते।
117. मनोज सरकार, धर्मजयगढ़ – हम जमीन नहीं देंगे।
118. देवदास सरकार, बायसी कालोनी – हम अपना जमीन नहीं देना चाहते।
119. सविता सरकार, बायसी कालोनी – हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, हम लोग जमीन नहीं देंगे। जो कंपनी वाला आयेगा तो हमारा इज्जत नहीं रहेगा, हमारे जमीन में अगर कुछ निकालना है तो हम खुद करेंगे, जब हमारा जमीन जंगल था तब कंपनी कहॉ था, हमने इसे खेत बनाया है।
120. गीता मंडल, बायसी कालोनी – हम अपना जमीन नहीं देना चाहते।
121. गीता धनीबड़ा– हम कंपनी को जमीन नहीं देंगे।
122. तारा, धनीबड़ा – हम अपना जमीन नहीं देना चाहते।
123. विश्वनाथ विश्वास, बायसी कालोनी – मेरे माता पिता यहॉ से वहॉ घुमते रहे, उनकी बाकी जिंदगी यहीं बीत जाये, हम चाहते हैं कि कोई भी कंपनी यहॉ न आये, हमारी सब्जी को पुरी दुनिया खा रहा है।
124. निपन विश्वास, बायसी कालोनी – हम लोग चार दिन से धरना में बैठे हैं, हम कंपनी वाले को किसी भी किमत पर यहॉ आने नहीं देंगे।
125. समीर मंडल, बायसी कालोनी – जो लोग हमारे जमीन की तरफ देंखेंगके उसका ऑख निकाल देंगे।
126. मृत्युंजंय, मेंढरमार – हम जमीन नहीं देंगे जो आयेगा उसका हाथ तोड़ देंगे।
127. विकास कुमार, मेंढरमार – ये जमीन हमारी मां की तरह है हम अगर इसे बेचेंगे तो साचेंगे कि अपनी मॉ को बेच रहे हैं। हम अपना जमीन नहीं देना चाहते।
128. संजय मजूमदार, बायसी कालोनी – मैंने बोर खुदाया और अपने जमीन को उपजाऊ बनाया था, अगर अब हमारा जमीन ले लेंगे तो मैं कहॉ जाउंगा मैं अपने बच्चों को कैसे पालूंगा।
129. रानी राय, हाथीगढ़ा – हम जमीन नही छोड़ेंगे।
130. उर्मिला दास, बायसी कालोनी –हम जमीन नहीं देंगे।
131. सविता ढाली, धानीपारा – हम इस कंपनी को जमीन नहीं देंगे, हमारे बच्चे छोटे हैं, हम कहॉ जायेंगे।
132. प्रभाति मंडल, धानीपारा – मैं अपना जमीन नहीं देना चाहती।

133. तरुणा, हाथीगढ़ा – हम अपना जमीन नहीं देना चाहते।
134. सुरुमुला, बायसी – हम अपना जमीन नहीं देना चाहते।
135. विजय कुमार, बायसी कालोनी – हमारे पुर्वजों ने इस जमीन को सिंचा है आज कंपनी हमारी जमीन को छिनने आया है, हम लोग अपना जमीन नहीं देना चाहते हैं।
136. असीत राय, बायसी कालोनी – मैं कंपनी को जमीन नहीं देना चाहता, कंपनी विदेश में कंपनी क्यों नहीं खोल रही है, यहॉ पर क्या भीख देने आई है कंपनी, वो विदेश में जाकर कंपनी खोले।
137. सुरेश दास, बायसी कालोनी – मैं अपने बाप–दादा की जमीन नहीं देना चाहते, कंपनी अपने मॉ बेटी को बेचे हमारे पिछे क्यों पड़े है।
138. विजेन्द्र पाल, हाथीगढ़ा – महिलाओं को क्यों बोलने नहीं दिया जा रहा है।
139. कमल सिंह हलधर, धर्मजयगढ़ कालोनी – हम जमीन देना नहीं चाहते।
140. राकेश, बायसी कालोनी – जमीन क्या चीज है, फसल है तो जमीन है नहीं तो कुछ नहीं है, मैं कंपनी को अपना जमीन नहीं देना चाहता हूँ।
141. राजेन्द्र निषाद, बायसी कालोनी – मैं जमीन नहीं देना चाहता चाहे हमारी जान चली जाये।
142. जयमणी, बायसी – हम जमीन नही देंगे।
143. सरस्वती मंडल, बायसी – मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, वे लोग कहॉ जायेंगे, हम अपना जमीन नहीं देंगे।
144. सावित्री मंडल, बायसी कालोनी – कंपनी को जमीन नहीं देंगे।
145. मिता विश्वास, हाथीगढ़ा – मेरे दो बच्चे हैं, मैं यहीं पैदा हुई हूँ और यहीं मै मरना चाहती हूँ, जो हमारे भारत माता को चिरना चाहते हैं, उनको भगाईये, कंपनी नही चाहते हैं।
146. नमिता साना, बायसी कालोनी – जमीन नहीं देना चाहती हूँ।
147. चंचला मंडल, बायसी कालोनी – जमीन नहीं देना चाहती हूँ।
148. ममता मंडल, बायसी कालोनी – हम अपना जमीन नहीं देना चाहते।
149. शुसमा मंडल, शासहपुर – हम लोग जमीन नहीं देंगे।
150. गौरी, बायसी – हम लोग जमीन नहीं देना चाहते।
151. सावित्री राय, बायसी कालोनी – हम लोग जमीन किसी को नहीं देंगे।
152. सुशीला मंडल, हाथीगढ़ा – हम लोग जमीन नहीं देंगे।
153. उर्मिला मधु, बायसी कालोनी – हम धरती माता को बेचना नहीं चाहते हैं, कंपनी आये तो पहले दलाल को बाहर भगाओ।
154. विशाखा मजूमदार, बायसी कालोनी – हमारा जमीन हम नहीं देना चाहते हैं।
155. हेलेना, धर्मजयगढ़ – हम अपना जमीन नहीं देना चाहते।
156. पुष्पी, हाथीगढ़ा – हम यहीं पैदा हुये हैं और यहीं मरना चाहते है।
157. कविता, बायसी कालोनी – हम अपना जमीन नहीं देना चाहते।
158. अनिता, धानीपारा – हम अपना जमीन नहीं देना चाहते।
159. उपानंद मंडल, बायसी कालोनी – मैं एक किसान का बेटा हूँ और खेती करता हूँ अपना जमीन किसी को नहीं देना चाहता हूँ।
160. जगन्नाथ विश्वास, बायसी कालोनी – मैं डरने वाला नहीं हूँ मैं मरने वालो से हूँ
161. गणेश सरकार, बायसी कालोनी – हम अपना जमीन नहीं देना चाहते।

162. धनसिंह राठिया, सरपंच, शाहपुर – ग्राम पंचायत में बहुत सारी जमीन ले लिया है, अगर सही मुआवजा मिले तो समर्थन करता हूँ।
163. शंकर कुमार मंडल, बायसी कालोनी – मैं कंपनी को जमीन नहीं देना चाहती, कंपनी ने अभी तक नौकरी नहीं दिया है और पैसा दिया है हम जमीन नहीं देंगे।
164. एस राजू, धर्मजयगढ़ कालोनी – कंपनी वाला जमीन के मुआवजे में पैसा ही देगा, हमारे चार बच्चे हैं, कंपनी एक बच्चे को नौकरी देगी बाकी तीन लोग क्या करेंगे, हमारे घरों में लड़ाई होगी, हम कंपनी को जमीन नहीं देगे।
165. बोधराम, तराईमाल – मैं कंपनी को जमीन देने के लिये तैयार हूँ, मेरा समर्थन है।
166. आदित्यपाल, हाथीगढ़ – मैं जमीन नहीं दूंगा ।
167. प्रहलाद कुमार, तराईमार – मैं जमीन देना चाहता हूँ।
168. कुसुम विश्वास, हाथीगढ़ा – जमीन नहीं देना चाहती।
169. सुनीता विश्वास, बायसी कालोनी – जमीन नहीं देना चाहते, कंपनी वालो को भगाओ।
170. सुमित्रा विश्वास, बायसी कालोनी – हम जमीन नहीं देंगे।
171. अर्चना विश्वास, बायसी कालोनी – हम जमीन नहीं देंगे।
172. नीलू मंडल, हाथीगढ़ा – हम अपना जमीन नहीं देंगे।
173. सिरोदनी मंडल, हाथीगढ़ा – हम जमीन नहीं देंगे।
174. सरोज, मेंडरमार – कंपनी वाले को जमीन नहीं देंगे।
175. नमिता विश्वास, बायसी कालोनी – कंपनी वालो को जमीन नहीं देंगे।
176. ललिता, मेंडरमार – हम जमीन नहीं देना चाहते है।
177. सावित्री, बायसी कालोनी – हम अपना जमीन नहीं बेचना चाहते।
178. नमिता मंडल, बायसी कालोनी – हम अपना जमीन नहीं देना चाहते।
179. देवी हलधर, धर्मजयगढ़ कालोनी – जो दलाल हैं उनको जुता मारेंग और जमीन नहीं देंगे।
180. शुषमा, धर्मजयगढ़ – हम अपना जमीन नहीं देना चाहते।
181. सुशीला मंडल, बायसी कालोनी – हम अपना जमीन नहीं देना चाहते।
182. सुशीला मंडल, बायसी कालोनी – हम अपना जमीन नहीं देना चाहते। दलाल लोग हमको जीने नहीं दे रहे हैं, सरपंच डर गया है।
183. अनिता ठाकुर, बायसी कालोनी – हम अपना जमीन किसी को नहीं देना चाहते, कंपनी वालो को मारकर भगाओ।
184. कुकु, बायसी कालोनी – हम अपना जमीन नहीं देना चाहते।
185. सरिता कौशिक, धर्मजयगढ़ – कंपनी वालो को भगाओ, हम अपना जमीन नहीं देना चाहते।
186. बसंती कुजूर, पथरापारा – मैं जिंदल कंपनी को अनुमति नहीं देती हूँ, जमीन नहीं देना चाहती।
187. सुनिता कुजूर, पथरापारा – कंपनी को जमीन नहीं देंगे।
188. अनुसूईया, पथरापारा – हम अपना जमीन नहीं देना चाहते।
189. विनिता, पथरापारा – हम अपना जमीन नहीं देना चाहते।
190. वरमदीना, पथरापारा – जमीन नहीं देना चाहते ।
191. रेखा, पथरापारा – हम जमीन नहीं देंगे।
192. राजेश त्रिपाठी, जन चेतना, रायगढ़ – आज की जो जन सुनवाई का आयोजन किया जा रहा है वह 13 सितंबर 2006 के अधिसूचना के अनुसार अधिसूचना के

मुताबिक आज का मच और जन सुनवाई दोनो अवैध है, केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अधिसूचना के मुताबिक कंपनी के आवेदन के 45 दिन के भीतर जन सुनवाई करा ली जानी थी, अगर नहीं हो पाती तो केन्द्रीय वन मंत्रालय एक समिति का गठन करेगी और जन सुनवाई कराएगी। एक एकड़ जमीन के नीचे 20 करोड़ से लेकर 80 करोड़ का कोयला होता है, क्या इस देश के अंदर बहुराष्ट्रीय कंपनियों को ही कोयला निकालने का अधिकार है, क्या इस देश के किसानों को कोयला निकालने का अधिकार दिया जाना चाहिए। आज भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां यहॉ कोयला निकालती है तो उनको भारत के बैंक कर्ज देती है, वहीं सुविधा आम किसानों को भी मिलना चाहिए, फिर बात आति है कि एक अंगूठा छाप किसान कोयला कैस निकाल सकता है, तो जब इस देश को एक अंगूठा छाप नेता चला सकता है तो किसान क्यों नहीं निकाल सकता। अगर एक किसान एक दिन में जितना कोयला खोदेगा तो उसे 7500 रुपये का कोयला खोदेगा, हम भारत सरकार को वादा करते हैं कि हम 5000 रुपये प्रति टन रायल्टी देने को तैयार हैं। यहॉ बंगाली परिवार है जो पश्चिम बंगाल और पाकिस्तान से आये हैं उन्हें आज भी रिफ्यूजी कहा जाता है 65 साल बाद भी, विस्थापन से एक अधिकारी का जब ट्रांसफर होता है तो वह कहता है कि 6 माह यहीं रुको मैं वहॉ घर और स्कूल देखकर आता हूॅ। जबकि अधिकारी के पास गाड़ी भी होता है, जब ये लोग विस्थापित होंगे तो इनके पास तो गाड़ी भी नहीं है, इस देश में कहीं भी पुर्नवास नहीं होता है, आज तक हीराकुंड से विस्थापितों को पुर्नवास नहीं किया गया है। केलो डेम का 50–60 प्रतिशत काम हो चुका है आज तक एक ईंट भी पुर्नवास के नाम नहीं रखा गया है। हमने यह तो अध्ययन किया गया है कि जमीन के नीचे कितना कोयला है, लेकिन इसका अध्ययन नहीं है कि इससे जमीन के उपर कितने लोग जीये हैं। यह हाथी प्रभावित क्षेत्र है, 203 परिवार के लोगों को हाथी ने कुचलकर मार डाला गया है। ई. आई. ए. में लंगूर, जंगली चुहा दिखा लेकिन हाथी नहीं दिखाई दिया, सरकार आज भी किसानों को अकुशल कहते है। यह धर्मजयगढ़ ब्लाक अनुसूची 5 के अंतर्गत आता है यहॉ बिना ग्राम सभा की अनुमति के एक पत्ता भी नहीं हिलाया जा सकता, जब ग्राम सभा के हजारो बार आपत्ति की गई, इसके बावजूद भी आज जन सुनवाई की जा रही है, अनुसूची 5 के तहत् किसी भी आदिवासी भूमि को गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता, कुछ जिंदा लोगों को मरा हुआ बताकर उनके जमीन की रजिस्ट्री कर दी गई है। इसी के तहत् कृषि भूमि का 10 वर्ष तक डायवर्सन नहीं किया जा सकता, तब तक कंपनी क्या करेगी। सतना के किसी आदिवासी के नाम पर जमीन खरीदी जा रही है, उसकी जांच होनी चाहिए, कि उसके पास इतना पैसा है तो सरकार को कितना टैक्स देता है। भारत सरकार काले धन को भारत लाने की बात हो रही है और जो भारत के अंदर ही काले धन को खपाया जा रहा है उसका क्या होगा, यह एक राष्ट्रीय संपत्ति घोषित की जाये, इस देश के अंदर लोगों की सुरक्षा नहीं हो रही है, एक्सीडेंड हो रहे है, दिन में बैंक लुट लिये जा रहे हैं साम को महिलाओ की इज्जत लूट ली जा रही है, कहीं आने वाले समय में इस क्षेत्र के लोग हथियार उठा लें।

193. गजानंद पटेल, शाहपुर – कंपनी अगर उचित मुआवजा दे तो मैं अपना समर्थन देता हूॅ। कंपनी मांगे पूरी करे।

194. रुप कुमार साहू, तराईमार – कंपनी अगर सहीं मुआवजा दे तो हम जमीन देने का तैयार हूॅ।

195. संतोष कुमार प्रधान, तराईमार – कंपनी अगर सहीं मुआवजा दे तो हम जमीन देने का तैयार हूॅं।
196. अजय सिंह ठाकुर, कोरबा – सुबह से ग्रामीणों ने आपत्ति ही लगाई है, लेकिन उसके बावजूद जन सुनवाई को पास करा ली जाती है, लेकिन मेरा एक निवेदन है, कि वेदांता एक ऐसा पुर्नवास नीति बनाये जो एक मिसाल बने, अगर वह ऐसा करती है तो मेरा समर्थन है।
197. दिनेन्द्र यादव, बालको – अगर कंपनी यहॉ आ रही है तो पर्यावरण के नियमों का पालन करे, और मेरे जो साथी भाई ने कहा जो पुर्नवास नीति का अक्षरशः पालन करे। पर्यावरण के मामले में बहुत बैठकें हो रही है, बालको प्रबंधन से मैं यह कहना चाहता हूॅं कि जो कार्बन कंट्रोल करे । मेरा समर्थन है।
198. सीताराम,तराईमार – कंपनी अगर सहीं मुआवजा दे तो हम जमीन देने का तैयार हूॅं
199. उमाशंकर, तराईमार – हम लोग कंपनी को तराईमार से हटाने का बहुत कोशिश किया लेकिन अगल–बगल के जमीन को कंपनी खरीद लिया और कोई आपत्ति नहीं हुआ तो हम लोग कहॉ जायेंगे, तो हमारा विचार है कंपनी हमारा मांग पूरा करे तो हम अपना जमीन दे देंगे।
200. कमला पाल, हाथीगढ़ा – हमारा जमीन हम नहीं देंगे।
201. देवी मंडल, हाथीगढ़ा – हमारा जमीन हम नहीं देंगे।
202. संध्या सिंह , बायसी – जमीन नही देंगे।
203. किरन तिर्की, पतरापारा – जान दुंगी लेकिन जमीन नही दुंगी ।
204. अनीता, हाथिगढ़ा – जमीन नही देंगे।
205. सेपाली विश्वास , बायसी – जमीन नही देंगे।
206. गणेष साहू, तराईमार– उचित मुआवजा दे जमीन देंगे।
207. अगर सिंह लकडा, ब ायसी– जमीन नही देंगे।
208. बिहारीलाल साहू, तराईमाल – उचित मुआवज ा दे जमीन देंगे।
209. रवि सरकार, बायसी कालोनी – मै किसी भी किमत में जमीन नही देंगें।
210. वासुदेव प्रधान, तराईमाल – हमारे मांग से मुआवजा दे।
211. निरंजन सिदार, तराईमाल – उचित मुआवजा दे, त ो जमीन देंगे।
212. विजय कुमार साहू , तराईमाल – उचित मुआवजा दे। तो हम तैयार हैं
213. कमला बाई, बायसी – जमीन नही देंगें ।
214. रेनु, मेडरमार– हमारा जमीन नही देंगें जमीन हमारी मां है।
215. धन्ना सरकार , मेडरमार – हम लोगो का जमीन नही देंगे।
216. सुनिता, मेडमार– जमीन नही देंगें।
217. सविता रथ, जन चेतना रायगढ़ – यह क्षेत्र चुकि पूर्ण रूप से पेशा क्षेत्र है इस एरिया में राष्ट्र के कई जातिया के लोग रहते है इस क्षेत्र के बारे में कुछ भी ई.अ ाई.ए. रिपोर्ट में दर्ज नही किया गया है। इस जन सुनवाई का मै विरोध कर रही हूँ – कोयले के परिवहन हेतु रेल लाई लगाने हेतु 1200 एकड़ भूमि की आवश्यकता है। जिसके अन्तर्गत इसमें मौहा पेड, तेन्दु पेड़, इत्यादि इससे धर्मजयगढ़ तहसील के 28 तथा रायगढ़ तहसील के 2 गांव प्रभावित होंगे, ई. आई. में बताया गया है कि इस क्षेत्र में कोई पुरातात्विक क्षेत्र नहीं है जबकि 7 कि. मी. दूरी पर ओंगना पुरातात्विक स्थल हे, पास में ही अंबे टिकरा पर्यटन स्थल है, उदयपुर हवाई अड्डा है उसको छुपाया गया है, बी. टी. आई. के बारे में स्वास्थ्य केन्द्र, डाकघर, विद्यालय को छुपाया गया है। छोटे झाड़ के जंगल प्रभावित होंगे

और बड़े झाड़ के जंगल भी प्रभावित होंगे, जिससे चार, तेंदु, कत्था, महुआ और अन्य चींजें प्रभावित होगी, माण्ड नदी से पानी लेने के कारण माण्ड नदी का पानी प्रभावित होगा, उसमें गंदा पानी छोड़ दिया जायेगा, इससे माण्ड नदी और अन्य नाला समाप्त हो जायेंगे, तो पशुधन पालन नहीं हो पायेगा, बालको परियोजना से जो रेल लाईन बनाया जायेगा उससे जो कृषक प्रभावित होंगे। जिससे खेत दो भाग मे विभाजित हो जायेंगे, जिससे बैलगाड़ी और अन्य को उस पार ले जाने में परेशानी होगा भारत विभाजन के समय जो विस्थापित लोगों को बसाया गया था, उनके जमीन को पुनः लेकर उनको विस्थापित किया जायेगा, यह क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी संस्कृति समाप्त हो जायेगा, खदान खुलने से वन्य जीव आबादी की ओर जाने लगेंगे, वन्य जीवों का जीवन खतरे में पड़ जायेगा, किसी भी परियोजना हेतु ग्राम पंचायत से अनुमति लिया जाना चाहिए, लेकिन इसका उल्लंघन किया गया है। यह जन सुनवाई पूर्ण रुप से अवैध है, जन सुनवाई 45 दिन के अंदर करवा लेना चाहिए था, नहीं करवा पाता तो उसको केन्द्र के उपर छोड़ दे। मैं अपना लिखित आवेदन भी दे रही हूँ।

218. रतिराम राठिया, बायसी – हमने ज्ञापन दिया था कि हमारे आदिवासी ग्राम पंचायत क्षेत्र के आदिवासी लोगों के जमीन की खरीद बिक्री नही की जाये। इसके लिये कार्यवाही की जाये और आदिवासियों की जमीन वापस कर दी जाये, जो कंपनी के लोग हैं, वे चोर हैं कि चमार हैं। आज की जन सुनवाई निरस्त कर दी जाये।

219. प्राण कृष्ण राय, मेंडरमार – मैं कंपनी का विरोध करता हूँ, जमीन नहीं देना चाहता।

220. दिलीप कुमार मंडल, धर्मजयगढ़ – कंपनी यहॉ नही आये, अपना जमीन नहीं देना चाहते ।

221. तारक डाली, बायसी कालोनी – हम अपना जमीन नहीं देना चाहते है।

222. रविन्द्र राय, पार्षद वार्ड –1, धर्मजयगढ़ – दुर्गापुर 2 के तहत् कुल 6 पंचायत धर्मजयगढ़ के इससे 10000 परिवार जो निवासरत हैं वो बेघर हो जायेंगे। यहॉ 642 खातेदार में से मात्र 128 परिवार का जमीन फंसा है बाकी लोगों की जमीन उसमें नहीं आई है। विस्थापित होने से इस बंजर जमीन को मेहनत करके उपजाऊ बनाया है, इससे हजारो परिवार उनके घर और कई फलदार वृक्ष प्रभावित होंगे, सरकार ने रायगढ़ शहर में भी बंगालियों को बसाया गया था, कोरबा में भी कुछ लोगों को बसाया गया था, वहॉ अब बिल्डिंग हैं उनको विस्थापित नहीं किया जा रहा है तो धर्मजयगढ़ के लोगों को क्यों विस्थापित किया जा रहा है। यह क्षेत्र अनुसूची 5 के अंतर्गत आता है जिसके तहत् ग्राम सभी की सहमती अनिवार्य है, यह फर्जी पर्यावरणीय जन सुनवाई रद्‌द कर देनी चाहिए, इसमें नीजी जमीन, सरकारी जमीन, छोटे झाड़ के जंगल और बड़े झाड़ के जंगल भी हैं वे प्रभावित होंगे इसके लिये अनुमति नहीं ली गई है। कंपनी के द्वारा रेल लाईन बिछाकर कोयला ले जाया जायेगा, जिससे कई किसान प्रभावित होंगे, यह 63 कि.मी. रेल लाईन कहॉ से बनाया जायेगा, यह नहीं बताया गया है। परियोजना से 3 कि. मी. की दूरी पर मॉ अंबे मंदिर है। 7 कि. मी. की दूरी पर रुपुंगा पुरातात्विक क्षेत्र है। नगरीय क्षेत्र में चर्च, स्कूल, बैंक, सामाजिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित है वे प्रभावित होंगे। यहॉ के बंगाली लोगों ने अपनी जमीन को सिंचित बना रखा है, बालको के द्वारा उस जमीन को बंजर बताया गया है, उसके अनुसार अगर मुआवजा दिया जाता है वह गलत है। इसमें से 50 प्रतिशत भूमि सिंचित है, इनमें से 34 प्रतिशत भूमि में वन भूमि है

जो नष्ट हो जायेगा, दिसम्बर माह में हाथी के द्वारा 2 लोगों को कुचल कर मार दिया गया था। नवम्बर में एक हाथी की मौत करंट लगने से हो गई थी, ई. आई.ए. में हाथी नहीं दर्शाया गया है। ई. आई. ए. गलत है। इनकी डस्ट उड़कर बगल के खेत को प्रभावित करेगा, जिससे उनकी जमीन बंजर हो जायेगी। उत्खनन के कारण ध्वनि प्रदूषण होगा, सैकड़ों गाड़ियां चलेंगी, ब्लास्टिंग किया जायेग, जिसका जीव–जंतुओं के उपर प्रभाव पड़ेगीा। पर्यावरण संतुलन नहीं करने पर राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जायेगी।

223. सजन कुमार, बायसी कालोनी – मेरा 5 एकड़ जमीन वेदांता ने मांगा है, विकास जरुरी है, लेकिन किसानों का विनाश करके विकास कैसा किया जा रहा है। कितने लाखो पेड़ का नुकशान किया जायेगा। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। हमारे यहॉ लगातार 8 हाथियों की मौत हुई है ये हाथी कहॉ से आये हैं। कोयले खदान से किसान का नुकशान होगा। आज की जो सच्चाई है , हमारे प्रेस वाले भाई सहयोग करेंगे और जो 100 प्रतिशत विरोध हुआ है उसको छापेंगे।

224. मनोरंजन राय, बायसी कालोनी – हम कंपनी को जमीन नहीं देंगे।

225. आशिष कुमार, बायसी कालोनी – हमारे दादा– परदादा जानते हैं हमको विस्थापित किया गया था, वे हमको बताते हैं, हम समझते हैं, कंपनी वाले बताते हैं 2 प्रतिशत सिंचित जमीन है जबकि यहॉ के 65 से 70 प्रतिशत जमीन सिंचित हैं, गर्मी में यहॉ तरबूज होता है, धान होता है। यहॉ का फसल बहुत प्रसिद्ध है। इसको हम विस्थापन होने से रोकेंगे और कोल माईन का विरोध करते हैं।

226. प्रदीप राठौर, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, रायगढ़ – पिछले दिनों हमारे लोगों ने वेदांता कंपनी के लोगों बात की तो उनके बात बिलकुल गोल मटोल है, यहॉ की जमीन उनके बाप की जमीन नहीं है, यह उन्हें आसानी से नहीं मिलेगी, यहॉ पेशा कानून को लागू करना चाहता है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इसका विरोध करती है।

227. भूपेन्द्र वैष्णव, खरसिया – मैं इस जन सुनवाई में यह पूछना चाहता हूॅ कि कंपनी को जमीन कैसे दिलाया जाये इसके बारे में शासन प्रशासन लगा होता है, लेकिन उनके विस्थापन के लिये शासन ने क्या व्यवस्था की है, आज मुझे पता चला है कि उन्हें 8–10 लाख मुआवजा दिया जायेगा, लेकिन वे जिले में कहीं भी चले जायें, उन्हें 10 लाख रुपये से कम में जमीन नहीं मिलेगा, सड़कों में भारी भारी गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन उसपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कंपनी जाल बिछाते हैं हमको जाल में नहीं फंसना है, आज हम लोग रोजगार लेने जाते हैं, तो हमको कहा जाता है कि आप टेक्निकल नहीं हैं, फिर हमारी जमीन लेने के लिये टेक्निकल की क्या जरुरत है।

228. अंशु टुटेजा, अभाविप, रायगढ़ – कंपनी में अगर कोई मर जाता है तो 2 लाख 4 लाख मुआवजा देता है तो कंपनी वाले आये और अपनी जान दे हम आपको 2 लाख देने को तैयार हैं, हम कंपनी को यहॉ लगने नहीं देंगे, पूरे क्षेत्र में एक धर्मजयगढ़ ब्लाक बचा है जो प्रदूषित नहीं हैं लेकिन अब इस क्षेत्र को भी प्रदूषित न होने दें।

229. विप्लव कुमार, हाथीगढ़ा – जो विरोध हो रहा है उसमें से जो एक समर्थन होता है उसको लिखकर भेज दिया जाता है, यहॉ जो विरोध हो रहा है उसको भेजा जाये।

230. अनिल अग्रवाल, रायगढ़ – आदिवासी पिछड़ा क्षेत्र का यह रायगढ़ जिला जिसके शोषण करने के लिये इन अधिकारियों ने काम किया। इस बालको के चिमनी के

नीचे 400 लोग दब कर मर गये, और शासन कागजी कार्यवाही करने लगे, गंदा पानी पीने के लिये मजबूर नहीं हैं क्योंकि उनके पास वॉटर प्यूरीफायर है, कंपनी का खाना पानी खाकर और पिकर उनका नमक खाकर कैसे उनके खिलाफ लिख सकते हैं, ई. आई. ए. रिपोर्ट में गलत जानकारी दी गई है। घर में बैठकर बनाई गई ई. आई. ए. रिपोर्ट बनाई गई है। इमानदारी से अगर ई. आई. ए. रिपोर्ट को अगर रखी जायेगी तो पता चलेगा कि कितने लोगों की जान इसके नीचे दबी है। यदि छ.ग. में पॉवर प्लांट लगाने के लिये जितने एम. ओ. यू हो रहे हैं, लेकिन कितने पॉवर की आवश्यकता है उतना ही पॉवर उत्पादन किया जाये।

231. प्रंतोष कुमार मंडल, हाथीगड़ा – मैं खेत में काम करता हूँ और अगर मैं बीमार पड़ता हूँ तो मेरे पिताजी और मेरी माताजी काम करती है, लेकिन अगर कंपनी में काम करुंगा तो बीमार पड़ने पर क्या मेरे पिताजी वहॉ जाकर काम कर सकेंगे। हम खेती करना चाहते हैं हम अपना जमीन नहीं देंगे।
232. कमल भक्त, धर्मजयगढ़ – बालको को हम बंगाली भाई लोग जमीन नहीं देंगे।
233. माहादेव बैरागी, दुर्गापुर – आज बड़े दुख की बात है हमारे क्षेत्र में जन सुनवाई हो रहा है आज हम सब बेघर हो रहे है, आज तराईमार के कुछ लोग बताये हैं कि सही मुआवजा मिलने पर समर्थन देंगे, उनको कुछ भी जानकारी नहीं हुआ है। हम जहॉ बैठे हैं उसके नीचे 20–80 करोड़ की संपत्ति है, हमको भी मालिक बनाया जाये हम भी उसको खोदकर सरकार को दे सकते हैं,ऐसी व्यवस्था की जाये, कि हम भी खोद सकें, सबको लेकर चलना चाहिए, शासन ने 6,8,10 लाख की घोषणा की गई है, उड़िसा में 25 लाख महाराष्ट्र में 52 लाख और कहीं कहीं तो 1 करोड़ मुआवजा दिया जाता है, फिर हमको क्यों ठगा जाता है, अगर तराईमार को ले लेते हैं, क्या कंपनी उतने जमीन में बैठ पायेगा, आज कुछ जमीन ये लोग बेच देंगे, आज हमारा तीन पीढ़ी यहॉ गुजर गया और कितने पीढ़ी आयेंगे वो भी गुजर जायेंगे, हमको भी हरियाणा के मुताबिक मुआवजा दिया जाये। आज हमने बहुत संघर्ष करके जीवन यापन किया है। हमारे जमीन के नीचे सोना है कोयला है उसको हम तो रोक नहीं पायेंगे। यह जमीन हमारे कई पीढ़ी तक करते हैं। आज इस क्षेत्र के जमीन से जो फसल होता है कोरबा जिला में मेरा ही गोभी जाता है।
234. दुकालू राठिया, पंच, बायसी – हम लोग जमीन नहीं देंगे, हमारे बाल बच्चे हैं, हमारे दादी पुरखा ने जमीन को बचा कर रखे हैं।
235. भगवान मंडल, हाथीगुढ़ – मैं बहुत मेहनत से जमीन बनाया हूँ मैं अपना जमीन नहीं दुंगा।
236. युसुफ खान, पत्रकार धर्मजयगढ़ – मैंने सोचा था कि यहॉ पर हमारे सभी युवा कार्यकर्ताओं को बोलने का मौका दिया जायेगा, गरीब आदिवासी भाई लोग अपना जीवन यापन खेती से करते हैं, अगर कंपनी यहॉ खुलता है तो प्रदूषण के कारण लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो जायेगा, ई. आई. ए. रिपोर्ट में भी कई खामियां है। इसमें जो गरीबों के लिये प्रावधान दिया गया है, कृषि का रकबा कम दिया गया है, हाथियों का उल्लेख नहीं किया गया है। कंपनी द्वारा गरीब, बेरोजगार किसानों के लिये क्या व्यवस्था की जायेगी, इसकी जानकारी नहीं दी गई है। मैं समस्त गांव के जन भावनाओं के साथ कंपनी का विरोध करता हूँ।
237. सत्यकाम मंडल, मेंडरमार – गोली खाने के तैयार हूँ लेकिन जमीन देने को तैयार नहीं हूँ।
238. अधिर कुमार, बायसी कालोनी – मैं अपना जमीन नहीं देना चाहता हूँ।

239. विरु विश्वास, धर्मजयगढ़ – मेरा जमीन नहीं लिया जाना चाहिए, रागयढ़ बर्बाद हो गया है धर्मजयगढ़ को बर्बाद कर दिया गया है, हमारे मातृभूमि को नहीं लेना चाहिए।

240. भावरंजन, धर्मजयगढ़ – हमारा जमीन कंपनी को नहीं देना चाहते। हमने 150 क्वींटल धान बेचा है हम जमीन को बेच देंगे तो कहॉ जायेंगे।

241. संजय मधु, बायसी कालोनी – मैं कंपनी का विरोध करता हूँ, जमीन नहीं देना चाहता।

242. मोहन हलधार, धर्मजयगढ़ – मैं यहॉ पैदा हुआ हूँ किसान का बच्चा हुं जमीन नहीं देना चाहते है।

243. विनय मंडल, मेंडरमार – कंपनी को जमीन नहीं देना चाहते हैं।

244. सुरेन्द्र विश्वास, मेंडरमार – कंपनी को जमीन नहीं देना चाहते हैं।

245. निर्माण मंडल, बायसी – कंपनी को जमीन नहीं देना चाहते हैं।

246. मंगतु मंडल, धर्मजयगढ़ – कंपनी को जमीन नहीं देना चाहते हैं।

247. श्याम कुमार प्रधान, दुर्गापुर कालोनी – कंपनी को जमीन नहीं देना चाहते हैं।

248. सूरज चन्द्र मंडल, बायसी कालोनी – हम अपने जमीन में साल में 2–3 लाख कमा लेते हैं, कंपनी हमारे जमीन का कितना रुपये देगा। हम कंपनी को जमीन नहीं देना चाहते हैं।

249. शंकर, प्रेमनगर – मैं कंपनी का विरोध करता हूँ, जमीन नहीं देना चाहता हूँ।

250. संतराम साहू, तराईमार – उचित मुआवजा मिले तो जमीन देने का तैयार हूँ।

251. बृजलाल साहू, तराईमार– उचित मुआवजा मिले तो जमीन देने का तैयार हूँ।

252. नेतराम, तराईमार – समर्थन करता हूँ।

253. गौतम, दुर्गापुर – कंपनी का विरोध करता हूँ।

254. नारायण मंडल, दुर्गापुर कालोनी – कंपनी को जमीन नहीं देना चाहते हैं।

255. विपिन मिश्रा, यूवा संघर्ष मोर्चा, रायगढ़ – कंपनी लगने के पहले अगर दुर्घटना हो रहा है तो कंपनी लगने के बाद क्या होगा जमीन खरीदी में धांधली हो रही है, जिसकी जांच हेतु कलेक्टर महोदय के द्वारा जांच का आदेश दिया गया है। पर्यावरण विभाग के द्वारा विरोध पत्रों को दबा दिया जाता है।

256. संतोष मंडल, हाथीगढ़ा – मैं छोटा था तो बहुत कष्ट उठाया हूँ, मेरे जमीन को बंजर कहता है मेरी मां को बंजर बना रहा है। कंपनी को जमीन नहीं देना चाहते हैं।

257. विमल विश्वासल, बायसी कालोनी – मैं किसान हूँ हम कंपनी को जमीन नहीं देना चाहते हैं।

258. डिग्री प्रसाद चौहान, पुसौर – आज पूरे जिले में इस पंडाल पर विरोध स्वरुप जो भजन किर्तन किया गया था, पूरे जिले में उनको खदेड़ने की चर्चा हो रही है। यहॉ के प्रशासन लोगों के विरोध को अलोकतांत्रिक तरीके से क्यों रोक रही है। वेदांता कंपनी यहॉ कुछ दिनों से समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर अपना समर्थन जुटाने का प्रयास करता रहा।

259. रमेश अग्रवाल, जन चेतना, रायगढ़ – मेरी सबसे पहली आपत्ति जन सुनवाई प्रारंभ होने के समय आपके द्वारा यह घोषणा की गई थी, जिनको अपने विचार रखने हैं रखें, प्रशासन का यह अघोषित नियम की 5 बजे जन सुनवाई समाप्त कर देगी, यह ई. आई. ए. अधिसूचना का उल्लंघन है, जितने लोग लोक सुनवाई स्थल पर है उनके विचार लिये जायेंगे, और 15 मीनट से अधिक नहीं बोलने दिया जायेगा। यह

मेरी दूसरी आपत्ति है। ऐसा कोई नियम नोटिफिकेशन में नहीं है, जब मैं आ रहा था, तो मुझे रोका गया। क्या ऐशा आदेश दिया गया था ? जन सुनवाई के तीन पक्ष हैं, प्रशासन, कंपनी और जनता जिनके विचार जानने के लिये आप बैठे हैं। मंच पर प्रशासकीय अधिकारी बैठे हों, कानून व्यवस्था बना रहे, एक तरफ जिनकी जमीन जा रही है उनको जमीन में बैठने और पानी तक की व्यवस्था नहीं है और कंपनी के प्रतिनिधि मंच के अंदर क्यों बैठे हैं, क्या इसी से कंपनी की मेंटली समझ में नहीं आती, जो कंपनी बड़े–बड़े वादे कर रहे हैं। कंपनी के अधिकारियों को शर्म आनी चाहिए, उनको जनता के साथ बैठना था, क्यों वे जनता के साथ नहीं आना चाहते, इस ई. आई. ए. के आधार पर जन सुनवाई कराई जा रही है, भारत सरकार ने केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने एक सूची जारी किये हैं केवल उन्हीं के ई. आई. ए. पर विचार किया जायेगा। इनका नाम उस सूची में नहीं है, और न ही इन्होंने आवेदन किया है। 30 सितंबर 2010 तक सारी कंसलटेंसी को अवसर दिया गया था, कि वे एप्लाई कर दें और उसके बाद निर्णय लिया गया है। जो लोग उस सूची में सामिल नहीं है ऐसे ई. आई. ए. पर विचार नहीं किया जायेगा। 31 दिसम्बर 2010 को सर्कुलर जारी किया और फिर से यह बात दोहराई तो मैने तत्काल उसी दिन मैने श्री पी. वी. रस्तोगी को मेल किया और पुछा था, कि ऐसी कंपनी की बातों पर विचार नहीं किया जायेगा, जब इनके ई. आई. ए. पर पर्यावरण मंत्रालय में विचार होना हीं नहीं है ऐसी जन सुनवाई आप क्यों करा रहे हैं। एक भी प्रोविजन का पालन नहीं हुआ है। आपको पर्यावरण मंत्रालय को लिखना था कि हमारे पास ऐसे केस आ रहे हैं, उस पर हम लोग क्या करें। यहॉ पर हर प्रभावित व्यक्ति यहॉ अपने विचार रख सकता है। मुख्यालय से आपको पत्र लिखा गया था उसमें लिखा था कि टी. ओ. आर. को सामिल किये जाने की दशा में ई. आई. ए. नोटिफिकेशन 2006 के अनुसार जन सुनवाई की कार्यवाही की जाये, लेकिन क्या इसको टी. आर. को सामिल किया गया है इसको किसी ने नहीं पढ़ा है। कंपनी के द्वारा टी. ओ. आर. का कम्प्लांएंस बनाया गया है आपने नहीं बनाया है, अगर टी. ओ. आर. का पालन नही है। टी. ओ. आर. को सामिल किया गया है कि नहीं यह कौन देखेगा। हमारे छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय जिनके उपर जिम्मेदारी है वे ईमानदारी से काम नहीं करते हैं। मेरे पास पूरा रिकार्ड है कितने परियोजना को मंजूरी नहीं दी गई है। कलेक्टर महोदय ने 31.12.2010 को जन सुनवाई की तिथि का निर्धारण की है, स्थल का निर्धारण ए.डी.एम. के द्वारा किया जायेगा, यहॉ कहीं भी नहीं लिखा है कि स्थल का निर्धारण ए.डी.एम. के द्वारा किया गया है। कितनी जमीन कंपनी के द्वारा ली जा चुकी है छ. ग. भू राजस्व अधिनियम के तहत् जमीन का डायवर्सन नहीं हो सकता तो क्या 10 वर्ष तक इंतजार करेंगे। नियम तोड़ने में यह कंपनी जिंदल से भी आगे हैं। हाथी यहॉ आता है लोगों को मारता है शासन भी करोड़ों खर्च कर रहा है, कंसलटेंट ने सांप, नेवला, बंदर सब बताया है लेकिन हाथी के बारे में नहीं बताया है। हाथी के संबंध में इनका जवाब यही होगा कि यह नोटिफाईड नहीं है इसलिये इसकी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन यह प्रपोज्ड कॉरीडोर है। अगर यह इस बात को बताते तो इनको यह क्षेत्र नहीं दिया जाता, इनको यह कोयला के उत्खनन हेतु अनुमति मिली है, उसमें उन्होंने पर्यावरण मंत्रालय को यह बताया था कि कोल माईन में हम कोल वॉशरी भी लगायेंगे। मिनरल्स ट्रासपोर्ट अधिनियम के तहत् कोल का भण्डारण कोल बियरिंग एरिया में नहीं किया जायेगा, इसके लिये पूर्व कलेक्टर ने 5 कोल वॉशरी के जन

सुनवाई को रोक दिया गया था, उसका भी यहां उल्लंघन है, वन भूमि पर जो आदिवासियों को अधिकार देने की जो बात होती है, 365 हेक्टेयर जमीन फारेस्ट की है, कई ऐसे आदिवासी जनजाति परिवार होंगे, जिनकी आजिविका वहॉ से चलती होगी, तो उन क्षेत्र का आईडेंटिफिकेशन क्यों नहीं किया गया। कोल रिजेक्ट जो 30 प्रतिशत होगा उसका उपयोग कहॉ करेंगे। धर्मजयगढ़–खरसिया हाईवे रोड इनके प्रोजेक्ट में आयेगा उस रोड के बदले कहां रोड बनाया जायेगा, इसकी जानकारी नहीं दी गई है। क्या वह जमीन बालको की हो जायेगी। जन सुनवाईयां हो लेकिन औचित्यपूर्ण हो, सही ई. आई. ए. बने, जन सुनवाई हो यहॉ जनता अपनी बात रख सके क्योंकि और कोई ऐसा फोरम नहीं है।

260. धरम सिह राठिया, तराईमार – कंपनी को सही मुआवजा देने से समर्थन है।

261. मनोहर सरकार, तराईमार – कंपनी अभी आ रहा है ये देश का सभी सोना और सब चीज ले गया अब भारत में क्या है , भारत खाली हो गया अभी हमारे नीचे जो संपत्ति है उसको लेने के लिये यह कंपनी आया है, हम जितने बंगाली परिवार हैं उनको हटाना नहीं चाहिए। हमारे हिन्दुस्तान का कोई कंपनी होगा तो हम मंजूर है, यह कंपनी विदेश का कंपनी है। हमने यहॉ भगवान का मूर्ति रखकर पूजा कर रहे थे, पुलिस लोग उसको हटाकर हमको यहॉ से भगाये हैं।

262. देवनाथ राय, धर्मजयगढ़ कालोनी – परियोजना से क्षेत्र के 20 पंचायत और कई क्षेत्र को चिन्हांकित किया गया है, जिससे वे पूर्ण तरह से प्रभावित होगा, ये सभी क्षेत्र विस्थापित होंगे, पर्यावरण मंत्रलाय के द्वारा जारी टी. ओ. आर. को सामिल नहीं किया गया है, और न ही ई. आई. ए. अधिसूचना का पालन किया गया है। अतःइनको पर्यावरणीय स्वीकृति नहीं दी जाये।

263. रामकुमार साहू, तराईमार – मेरा यही विनती है कि हम लोग 30 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से देंगे, कुंआ, पंप, पेड़, मकान का मुआवजा और नौकरी दी जाये।

264. रघुनाथ पाल, धर्मजयगढ़ कालोनी – आज जो हमारी भारत सरकार जो यहॉ लाये हैं, जो हमको 7 एकड़ जमीन दिया गया था, वो आज हमारे पास वह 1 से 1.5 एकड़ जमीन बचा है, हमारे पर्यावरण को देखा जाये, हम जब रायगढ़ जाते हैं तो वहॉ का प्रदूषण देखकर हमको डर लगता है, हमारे यहॉ भी कारखाना आ जायेंगे तो हमारे ग्रामीणों का आयु कम हो जायेगा।

265. उत्तम पाल, धर्मजयगढ़ कालोनी – पर्यावरण का सही मोल किसको पता है। यहां पर सारे अधिकारी बेजान हैं, पर्यावरण का सही मोल जंगली जानवरों को पता है, ये जंगली जानवर हाथी कहां से आये है ये प्रभावित क्षेत्र से आये हैं। जब हाथी यहॉ धन–जन की हानि करती है तो इतनी पुलिस आती है क्या, इस क्षेत्र के जो आम जनता है, उसका ध्यान रखा जाये।

266. अनिल मंडल, दुर्गापुर कालोनी – हम कंपनी में जमीन नहीं देना चाहते।

267. प्रकाश कुमार, प्रेम नगर कालोनी – मैं कंपनी का विरोध करता हूॅ।

268. विजय विश्वास, बायसी कालोनी – मैं कंपनी का विरोध करता हूॅ।

269. नितिन कुमार मंडल, धर्मजयगढ़ कालोनी – कंपनी को जमीन नहीं देना चाहते हैं।

270. बरेन डाली, दुर्गापुर कालोनी – इस कंपनी का विरोध करते हैं कंपनी को जमीन नहीं देना चाहते हैं।

271. भवेन्द्र, दुर्गापुर कालोनी – हमारे जगह में अगर आप लोग होते तो आप लोग क्या करते, जो कंपनी के लोग सपना देख रहे हैं, उनको जगा दिजिये कि ये सपना नहीं है।

272. सुजित कुमार, दुर्गापुर – हम अपने जमीन की रक्षा के लिये तैयार हैं, हम अपना जमीन कंपनी को नहीं देना चाहते हैं।

लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण क्षेत्रीय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी द्वारा पढ़कर सुनाया गया।

लोक सुनवाई के दौरान जनता द्वारा उठाये गये मुद्दों के संबंध में उद्योग कंपनी प्रतिनिधि श्री संजय कुमार जैन, वाईस प्रेसीडेंट ने परियोजना से होने वाले होने प्रदूषण के नियंत्रण हेतु लगाये जाने वाले आधुनिक उपकरणों, ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन, जल आपूर्ति, सामुदायिक विकास तथा लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये समस्त बिंदुओं पर बिन्दुवार अपना पक्ष रखा।

सुनवाई के दौरान कई लोगों द्वारा लिखित अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किया गया। संपूर्ण लोक सुनवाई की वीडियोग्राफी की गई ।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा सायं 8.15 बजे उपस्थित लोगों के सुझाव, आपत्ति, टीका–टिप्पणी पर कंपनी प्रतिनिधि की ओर से जवाब आने के पश्चात् लोक सुनवाई के समाप्ति की घोषणा की गई।

(जे. लकड़ा)
क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायगढ़

(एस. के. शर्मा)
अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
जिला–रायगढ़ (छ.ग.)